

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.)

पाठ्यक्रम-501

भारत में प्रारंभिक शिक्षा : एक सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष्य

ब्लॉक-3

समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा भाग- II



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

A 24/25, सांस्थानिक क्षेत्र, सैक्टर-62 नौएडा,

गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201309

वैबसाइट : www.nios.ac.in

श्रेय अंक (4=3+1)

खण्ड	इकाई	इकाई का नाम	सैद्धान्तिक अध्ययन अवधि (घंटों में)		प्रयोगात्मक अध्ययन
			विषय-वस्तु	क्रियाकलाप	
खण्ड-1 भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सिंहावलोकन	इकाई 1	भारतीय शिक्षा प्रणाली I	4	2	प्राचीन काल के गुरु एवं वर्तमान पेशेवर शिक्षक की तुलना
	इकाई 2	भारतीय शिक्षा प्रणाली II	5	3	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संदर्भ में किसी भी पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन
	इकाई 3	शिक्षा : एक मौलिक अधिकार	4	2	शिक्षक की भूमिका एवं दायित्वों के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विश्लेषण
	इकाई 4	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्विकीकरण की संगठनात्मक संरचना	4	2	झारखण्ड में प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना
खण्ड-2 समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारम्भिक शिक्षा-I	इकाई 5	प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए व्यूहरचनाएँ	5	3	—
	इकाई 6	प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण संबंधी कार्यनीतियाँ.प	5	3	संबंधित विद्यालय में मध्याह्न भोजन का अनुभव
	इकाई 7	सार्विक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन	6	3	—
खण्ड-3 समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारम्भिक शिक्षा-II	इकाई 8	प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना	6	3	एक चिंतनशील शिक्षक के रूप में आपके गुणों पर विचार
	इकाई 9	सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा	5	3	अपने क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक बच्चों के विद्यालय आने एवं रुके रहने के मुद्दों पर विचार आपके विद्यालय में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आपकी कार्य योजना
	इकाई 10	प्रारंभिक शिक्षा में अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य	5	2	
		शिक्षण	15		
		योग	64	26	30
		कुल योग = 64 + 26 + 30 = 120 घण्टे			

ब्लॉक-3

समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा-II

इकाई 8 : प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना

इकाई 9 : सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा

इकाई 10 : प्रारंभिक शिक्षा में अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य

खंड प्रस्तावना

यह ब्लाक पाठ्यक्रम-1 का तीसरा और अंतिम ब्लाक है जिसमें तीन इकाइयों पर चर्चा की गई है। इन इकाइयों की संख्या 8, 9 तथा 10 है।

इकाई-8 का संबंध प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करने से है। प्रथमतः इस इकाई में प्रारंभिक शिक्षा के दोनों स्तरों-प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों से संबंधित शैक्षिक समस्याओं तथा मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके पश्चात् राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 दर्शाए गए दबाव क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है और इसके साथ अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचे (2009) विवेचना की गई है जो 21वीं शताब्दी के लिए प्रभावी व कुशल अध्यापक तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस इकाई में एक प्रभावी व कुशल अध्यापक की एक विमर्शी चिंतक के रूप में समझते हुए, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस इकाई को पढ़ कर प्रारंभिक विद्यालयी अध्यापक की एक व्यापक संकल्पना को समझ पाएंगे। एक ऐसा अध्यापक जो 21वीं शताब्दी में समाज तथा शिक्षा की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।

इकाई-9 आप का ध्यान प्रारंभिक शिक्षा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करती है। यह समस्या है सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या। आप जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में बेहद विभिन्नताएं तथा विषमताएं हैं। इस इकाई में हम उन बच्चों की शिक्षा पर चर्चा करेंगे जो अत्यंत निर्धन परिवारों से हैं, भिखारी हैं, वैश्याओं के बच्चे हैं, जिनका कोई स्थाई निवास नहीं है, जो गलियों में धूमते हैं, दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहां कोई विद्यालय उपलब्ध नहीं है, जनजातीय है इत्यादि। इसके साथ ऐसे बच्चे भी हैं जो अशक्त हैं, जैसे शारीरिक रूप से विकलांग, श्रवण बाधित, चक्षुदोषयुक्त इत्यादि। इस वर्ग के बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया है अंत में बच्चों के अधिकारों और उनकी कैसे रक्षा की जाए, इस विषय पर चर्चा की है इसी इकाई में इन सुविधा वंचित बच्चों के पंजीयन, अवधारणा आदि पर भी प्रकाश डाला गया है।

अंतिम इकाई 10 प्रारंभिक शिक्षा का एक अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य या परिदृश्य प्रस्तुत करती है अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे युनेस्को, युनिसेफ, विश्व बैंक आदि के प्रारंभिक शिक्षा में योगदान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ जामतियन सम्मेलन, विश्व शिक्षा मंच (डकार) की संस्तुतियों पर भी चर्चा की गई है।

इस ब्लाक का एक विवेचित बोध आप में आरंभिक शिक्षा के प्रति एक विश्व दर्शन का कार्य करेगा।

विषय सूची

क्रम. सं.	पाठ का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	इकाई 8 : प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना	1
2.	इकाई 9 : सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा	35
3.	इकाई 10 : प्रारंभिक शिक्षा में अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य	57



इकाई 8 प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना

संरचना

- 8.0 प्रस्तावना
- 8.1 अधिगम उद्देश्य
- 8.2 प्रारंभिक शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों से संबंधित शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे और समस्याएँ
- 8.3 प्रारंभिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ.), 2005 के आवश्यक पहलु
 - 8.3.1 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की मुख्य विशेषताएँ
 - 8.3.2 सेवा-पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण
 - 8.3.3 अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण
 - 8.3.4 विशेष आवश्यकताओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षण
 - 8.3.5 प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक-शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या
 - 8.3.6 प्रशिक्षण के लिए संस्थागत मूलभूत सुविधाएँ (इंफ्रास्ट्रक्चर)
 - 8.3.7 अध्यापकों की भर्ती
- 8.4 प्रारंभिक अध्यापकों के लिए "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ.टी.ई.) 2009 के प्रमुख पक्ष
 - 8.4.1 अवस्था-1 प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा (कक्षा I से V)
 - 8.4.1.1 तर्काधार
 - 8.4.1.2 विषयवस्तु
 - 8.4.1.3 प्रशिक्षण
 - 8.4.1.4 पाठ्यचर्या संचालन
 - 8.4.1.5 अध्यापक- शिक्षकों की भूमिका
 - 8.4.1.6 मूल्यांकन
 - 8.4.1.7 मूल्यांकन के उपकरण
 - 8.4.2 अवस्था-2 प्रारंभिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा (कक्षा I से VIII तक)
 - 8.4.2.1 तर्काधार
 - 8.4.2.2 पाठ्यक्रम विषयवस्तु



- 8.4.2.3 प्रशिक्षण
- 8.4.2.4 पाठ्यचर्या संचालन
- 8.4.2.5 अध्यापक- शिक्षकों की भूमिका
- 8.4.2.6 मूल्यांकन
- 8.4.2.7 मूल्यांकन के उपकरण
- 8.5 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के प्रतिरूप (समेकित प्रतिरूपों समेत)
 - 8.5.1 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति
 - 8.5.2 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में सुधार लाना
 - 8.5.3 नए प्रतिरूपों की आवश्यकता
 - 8.5.4 नई पहलें
- 8.6 अध्यापक, एक विमर्शी व्यवसायी के रूप में
 - 8.6.1 विमर्शी प्रक्रिया का अर्थ
 - 8.6.2 विमर्श (चिंतन) के विषय में शिक्षाविदों का क्या कहना है?
 - 8.6.3 विमर्शी प्रक्रिया की उत्पत्ति
 - 8.6.4 विमर्श (चिंतन) : भावना के साथ अनुभव
 - 8.6.5 विमर्शी (चिंतनात्मक) प्रक्रिया की आधुनिक अवधारणा
 - 8.6.6 विमर्शी अध्यापन के लिए ट्साइखनेर तथा लिस्टन का प्रतिरूप
 - 8.6.7 चिंतन की विधियाँ
- 8.7 सारांश
- 8.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 8.9 अन्त्य इकाई अभ्यास

8.0 प्रस्तावना

पिछले खंड में आपने भारत की शिक्षा प्रणाली और विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के विषय में पढ़ा है। आपने शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार के रूप में भी पढ़ा। आपने देखा कि "शिक्षा का अधिकार" अधिनियम की उत्पत्ति 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी संविधान में दिए गए अनुच्छेद के अनुसार हुई है। इसमें प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाएँ (कक्षा I



से VIII तक) सम्मिलित हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। इसे प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण की संज्ञा दी गई है। आइए, अब जरा प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षा के सार्विकीकरण के निहितार्थों पर विचार करें।

इस इकाई में हम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह कार्यक्रम किन-किन मूल बातों पर आधारित है। और एक व्यक्ति के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए गुणवत्ता युक्त अध्यापक तैयार करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में आप कैसे सहायक हो सकते हैं।

8.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएँगे कि :

- प्रारंभिक शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों से संबंधित शिक्षाशास्त्रीय मुद्दों और समस्याओं की पहचान कर सकेंगे;
- प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ.), 2005 के दबाव क्षेत्रों के कारण बता सकेंगे;
- मुद्दों और दबाव क्षेत्रों में संबंध स्थापित कर सकेंगे;
- प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन सी एफ टी ई) के मुख्य पक्षों की व्याख्या कर सकेंगे;
- विमर्शी (चिंतनात्मक) प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं का विश्लेषण कर सकेंगे;
- एक विमर्शी अध्यापक बनने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि का निर्णय कर सकेंगे; और

8.2 प्रारंभिक शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों से संबंधित शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे और समस्याएँ

शिक्षा में असुविधाएँ लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म या निःशक्तताओं संबंधी असमानताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। इन पर सीधे तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मात्र नीतियाँ और योजनाएँ बनाकर नहीं अपितु बचपन से, विशेषतः प्रारंभिक शिक्षा पर अधिगम कार्य तथा शैक्षिक प्रक्रियाओं के डिजाइन और चयन के माध्यम से।

प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण हमें बोध कराता है कि हमें पाठ्यचर्या के कार्यक्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों की समृद्ध विरासत तथा



विविधता सम्मिलित है। स्वाभिमान और नैतिक मूल्य शास्त्र का विकास तथा बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न करने की आवश्यकता मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। तथापि इस संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों और समस्याओं पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है।

- **पाठ्यचर्या परिरूप:** वर्तमान संदर्भ में, कुछ नई घटनाएँ तथा मामले उभरकर सामने आए हैं जिनके प्रति पाठ्यचर्या का संवेदनशील होना अनिवार्य है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सभी बच्चों को ऐसे कार्यक्रम के द्वारा विद्यालय में सम्मिलित करना तथा बनाए रखना जो प्रत्येक बच्चे के महत्व को समझें तथा उसका समर्थन करें, सभी बच्चों को गौरव का अनुभव कराए तथा उनमें अधिगम के लिए आत्मविश्वास जाग्रत करें। पाठ्यचर्या द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की वचनबद्धता प्रतिबिम्बित हो। इसमें न केवल सांस्कृतिक विविधता परिलक्षित हो, अपितु जिसके द्वारा सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हों और जिनमें किसी भी प्रकार की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा बौद्धिक लक्षणों संबंधी विभिन्नता हो, आश्वासन मिले कि वे प्रारंभिक स्तर पर भली भाँति सीख सकते हैं तथा सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
- **क्रमबद्ध सुधार:** हमारे देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी है जो मुख्यतः उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है जिनमें पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु को याद करने और उसके अनुकूल उत्तर देने की क्षमता है न कि उन को जो सृजनात्मक रूप से उत्तर दे सकते हैं। इस मार्ग में शैक्षिक गंभीरता की कमी है; इसके अतिरिक्त इससे केवल इस बात की माप होती है कि विद्यार्थी ने कितनी अच्छी प्रकार से किसी विषयवस्तु को याद कर लिया है। हमारा समाज भी ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है जो परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनको नहीं जो अपने ज्ञान का प्रयोग दैनिक क्रियाकलाप में करते हैं। ग्रेडिंग स्कीम में बहुत सारे अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता जो बच्चे के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं जैसे वैयक्तिक, सामाजिक, सांवेगिक आदि कारकों की अवहेलना कर दी जाती है। वास्तव में यही कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन की प्रभाविता को निर्धारित करते हैं। शिक्षा के द्वारा उन मूल्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए या बल देना चाहिए जो कि बच्चे की जीविका तथा उसके जीवन में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व अनिवार्य है।
- **पंचायती राज संस्थाएँ:** ये संस्थाएँ हमारी शिक्षा प्रणाली पर नौकरशाही (अधिकारी-तंत्र) की जकड़ को कम करने का अवसर देती है, अध्यापकों को अधिक उत्तरदायी बनाती है और अध्यापकों को अधिक स्वायत्तता तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। विकेन्द्रीकरण तथा सर्वांगी सुधार के रूप में पंचायती राज संस्थाओं पर बल देने से स्थानिक भौतिक अवस्था, स्थानिक जीवन, तथा स्थानिक वातावरण प्रबलित होते हैं। ये संस्थाएँ अपने चारों ओर के जीवन और दुनिया को भी देखती रहती हैं। जब वे अपने प्रश्नों को अध्यापक के पास लाती हैं, इससे पाठ्यचर्या को बल मिलता है तथा इसमें अधिक सृजनात्मकता आती है। ऐसे



सुधार व्यापक रूप से सर्वमान्य, पाठ्यचर्यात्मक सिद्धांतों – जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा स्थानिक से वैश्विक की ओर जाना – की प्रक्रिया को सुगम बना सकते हैं।

- **विवेचनात्मक अध्यापन (पेडागोजी)**

विवेचनात्मक अध्यापन इस बात को महत्वपूर्ण मानता है कि शिक्षा किस प्रकार व्यक्ति को उन उपकरणों से अलंकृत करें जिससे वह अपने जीवन को अच्छा बना सकें, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सकें, एक अधिक समतावादी तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण कर सकें; तथा इस प्रकार शिक्षा का प्रयोग क्रमिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कर सकें। यह वास्तव में एक प्रकार का शैक्षिक अभियान है जो मनोवेग और सिद्धांत दोनों से निर्देशित या निर्दिष्ट है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता की चेतना विकसित करने में सहायता करना, सत्तावादी प्रवृत्तियों को पहचानना, तथा ज्ञान का संबंध शक्ति तथा रचनात्मक कार्य करने की योग्यता से स्थापित करना है। विवेचनात्मक अध्यापन के अंतर्गत अध्यापन और अधिगम के मध्य संबंध सम्मिलित होते हैं। यह पहले से सीखे गए को छोड़ने, सीखने तथा पुनः सीखने, चिंतन करने तथा मूल्यांकन करने, एवं विद्यार्थियों पर इनके प्रभाव को आँकने की सतत प्रक्रिया है।

- **पाठ्यचर्यात्मक मामले**

- **पर्यावरण संरक्षण:** पिछली शताब्दी में नए प्रौद्योगिकीय विकल्पों और जीवन शैलियों के आविर्भाव के फलस्वरूप पर्यावरण अवक्रमण (**degradation**) हुआ है और धनवान और निर्धन के मध्य का अंतर और अधिक बढ़ गया है। हमारा यह दायित्व तथा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण का पोषण करें और इसे सुरक्षित रखें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक था। यह जागरूकता पर्यावरण संबंधी मामलों को शिक्षा के सभी स्तरों और समाज के सभी वर्गों के संघटित करने से हो सकती है। तथापि, विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति सुग्राही बनाना तथा इसकी सुरक्षा पर बल देना अब भी एक मुख्य मामला है। बच्चे के विद्यालय के अंदर अधिगम (ज्ञान) और उसके विद्यालय से बाहर के जीवन में संबंध स्थापित करने के लिए एक चेतन प्रयास की आवश्यकता है।

- **शांति के लिए शिक्षा:** आज हम हिंसा के एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रहे हैं जो स्थानिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक सभी स्तरों पर व्याप्त हैं। आप इस बात से भली-भाँति परिचित होंगे कि एक अशांत विक्षुब्ध प्राकृतिक अथवा मनो-सामाजिक वातावरण प्रायः मानव संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है, जिससे असहनशीलता अनुदारता तथा द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही विकास शांति व सद्भाव के वातावरण में हो सकता है। शिक्षा व्यक्ति में वह सामर्थ्य उत्पन्न कर सकती है जिससे वह जीवन दर्शन के



रूप में शांति का वरण करें और जिससे व्यक्ति द्वंद्व का मूक दर्शक न बन कर उसके प्रबंधक बने।

- **लोकतंत्र – एक जीवन शैली के रूप में:** भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। लोकतंत्र एक ऐसे नागरिक की अपेक्षा करता है तथा निर्माण भी करता है जो अपनी स्वयं की स्वायत्तता की खोज में रहता है और दूसरों के इस अधिकार का सम्मान करता है। शिक्षा से अपेक्षा है कि यह सामाजिक रूपांतरण तथा समतावादी सामाजिक व्यवस्था का साधन बने; बच्चों में सभी व्यक्तियों के प्रति, बिना इस बात पर विचार किए कि उनकी धार्मिक आस्थाएँ कैसी हैं और क्या हैं, आदर व सम्मान की भावना जाग्रत करें। अपने सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय पहचान (अस्मिता) को मजबूत बनाने के लिए पाठ्यचर्या ऐसी हो जो विद्यार्थियों को इस योग्य बनाए कि वे बदलते समाजीय संदर्भ, के उभरते दृष्टिकोणों और नई प्राथमिकताओं की दृष्टि से अपने भूत काल की पुनःव्याख्या तथा पुनर्मूल्यांकन कर सकें। शिक्षा ऐसे नागरिकों का निर्माण करें जो अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सचेत हों और संविधान में सन्निहित सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध रहे।

- **शिक्षाशास्त्रीय (अध्यापन संबंधी) विचार/मामले**

- पाठ्यचर्या में अध्यापन संबंधी घटक को 80 प्रतिशत की भारिता दी गई है। पाठ्यचर्या में बाल-केन्द्रित, क्रियाकलाप आधारित तथा सहकारी उपागमों द्वारा अध्यापन पर काफी बल दिया गया है। प्रशिक्षार्थी के विद्यालयी विषयों की विषयवस्तु को संपन्न करना भी पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
- शिक्षा में गुणवत्ता का संबंध जीवन के सभी आयामों में जीवन की गुणवत्ता से है। वातावरण की सुरक्षा व शांति के लिए सरोकार, लोकतांत्रिक नागरिकता तथा सामाजिक परिवर्तन की ओर प्रवृत्ति गुणवत्ता के अनिवार्य घटक हैं। पाठ्यपुस्तकों और अन्य सामग्रियों में निरूपित ज्ञान को उन चुनौतियों के व्यापक परिपेक्ष्य में देखना चाहिए जो आज मानवता तथा राष्ट्र के सम्मुख खड़ी है। विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला कोई भी विषय इन बड़े सरोकारों से अछूता नहीं रह सकता; अतः इन विषयक्षेत्रों में सम्मिलित किए जाने वाले ज्ञान के चयन के लिए यह आवश्यक है कि इसे सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्थितियों तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक परखा जाए।



क्रियाकलाप-1

नीचे दी गई तस्वीरों को देखें। यदि इन तस्वीरों में आप अध्यापक होते तो आपकी अनुक्रिया क्या होती?

आकृति 1

आकृति 2


आकृति 1

मुझे देखने दीजिए क्या यह एक गुलदस्ता है? मैंने आकृति बनाने के लिए क्या पूछा है?



आकृति 2

आप सब लिखें, मेरा एक भाई और दो बहन हैं।



संक्षिप्त रूप में, निम्नलिखित बिन्दु ध्यान देने योग्य हैं: इनके लिए योजना तथा कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

- कक्षा में सीखे गए ज्ञान को बच्चों के अनुभवों से जोड़ना
- ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना
- सुनिश्चित करना कि अधिगम रटत स्मृति से परे हटा दिया गया है।
- पाठ्यपुस्तक केन्द्रित रखने की बजाय पाठ्यचर्या को ऐसे संवर्धित किया जाए जिससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
- परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना तथा इन्हें बच्चों के कक्षा के जीवन के साथ संघटित करना या जोड़ना
- समाज के सुविधा वंचित वर्गों के बच्चों के ज्ञान और कौशलों का उपयोग करना ताकि समाज के सुविधा संपन्न वर्गों के साथियों में उनका सम्मान बढ़े।




8.3 प्रारंभिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ.) के आवश्यक पहलु

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ.), 2005 भारत में विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, सिलेबस, पाठ्यपुस्तकें तथा अध्यापन विधियाँ तैयार करने के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है। यह दस्तावेज शिक्षा पर इससे पूर्व दी गई रिपोर्टों जैसे, लर्निंग विद्आउट बर्डन (बिना बोझ के सीखना), राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ 1986 व 1992 तथा फोकस समूह की चर्चाओं पर आधारित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 का उपागम तथा इस की अनुशासण समस्त शिक्षा प्रणाली के लिए संगत हैं।

8.3.1 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएँ

यह प्रलेख 5 भागों में बँटा हुआ है:



आकृति 8.1

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण हेतु भारतीय संसद ने एक विधेयक पारित किया जिसे "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" कहा जाता है; इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया है। पहले विवेचित इकाइयों में आप इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान से अवगत हो गए हैं।




प्रारंभिक शिक्षा में नए दबाव क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर बल देते हैं:

- i) सार्विक अभिगम्यता तथा पंजीयन
- ii) 14 वर्ष तक बच्चों का विद्यालय में अवधारण
- iii) शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ताकि बच्चे अनिवार्य अधिगम स्तरों को प्राप्त कर सकें।

प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आपको इन मूल प्रश्नों से अवगत होना चाहिए जो एन.सी.एफ. (2005) में संबोधित किए गए हैं। ये प्रश्न हैं:

- 1) वे कौनसे शैक्षिक प्रयोजन हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को प्रयास करना चाहिए?
- 2) वे कौनसे शैक्षिक अनुभव हैं जिन्हें प्रदान किए जाने से उन प्रयोजनों की प्राप्ति हो सकती है?
- 3) इन शैक्षिक अनुभवों को किस प्रकार सार्थक रूप से आयोजित किया जा सकता है?
- 4) हम कैसे सुनिश्चित करें कि इन शैक्षिक प्रयोजन की वास्तव में प्राप्ति हो गई है?

वे शैक्षिक प्रावधान जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, 2005 में प्रस्तावित हैं और प्रारंभिक शिक्षक के रूप में आपके लिए प्रत्यक्ष रूप में संगत हैं नीचे दिए गए हैं:



आकृति 8.2

8.3.2 सेवा-पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण

- सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के व्यावसायिक (सांवृत्तिक) कौशल का निर्धारण राज्य शिक्षा विभागों तथा जाँच (परीक्षा) संस्थाओं के नियमों व अधिनियमों के द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक या सांवृत्तिक कौशलों का स्तर कैसा हो यह उस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं के रूप में निश्चित किया जाता है और किसी संस्था को मान्यता तथा संबद्धता प्रदान करते समय इन्हीं



का ख्याल रखा जाता है। अतः विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, जो पब्लिक तथा निजी क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, को राज्य द्वारा निर्धारित इन निकषों (मानदंडों) का पालन करना पड़ता है।

- अध्यापकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण (सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण) निम्नलिखित तीन स्तरों पर आयोजित किया जाता है – विद्यालय-पूर्व अध्यापक शिक्षा; प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा, तथा माध्यमिक अध्यापक शिक्षा।
- प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा का आयोजन उन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है जिन्होंने I से V तक की प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना है। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम योग्यता दसवीं या बारहवीं कक्षा तक विद्यालयी शिक्षा है। हाल में ही अधिकांश राज्यों ने इसके लिए बारहवीं कक्षा तक की विद्यालयी शिक्षा को न्यूनतम योग्यता मान लिया है। निःसंदेह कुछ राज्यों में अब भी दसवीं कक्षा तक की शिक्षा पर्याप्त समझी जा रही है। अधिकांश राज्यों में कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है, परंतु कुछ राज्यों में यह एक वर्ष ही है। प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ तीन प्रकार की हैं: **राजकीय, निजी सहायता प्राप्त तथा निजी गैर-सहायता प्राप्त**। कुछ वर्ष पूर्व सभी राज्यों में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के लिए जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) की स्थापना की गई है। इन संस्थानों (DIETs) की विशेषता यह है कि सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ ये अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा भी प्रदान करते हैं।

8.3.3 अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के संदर्भ में, प्रारंभिक विद्यालयी अध्यापकों तक अपनी पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की एक राष्ट्रीय योजना का निर्माण किया था। इसके अंतर्गत आयोजित निम्नलिखित कार्यक्रम थे:

- विद्यालयी अध्यापकों का व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रम (PMOST), इस योजना के उद्देश्य थे शिक्षा में उभरते सरोकारों के प्रति अध्यापकों में सुग्राहिता उत्पन्न करना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण, अध्येता केन्द्रित उपागम का प्रयोग, क्रियात्मक शोध, अध्यापकों की उभरती भूमिकाएँ तथा दायित्व, पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों में उनके ज्ञान में संवर्धन, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंकित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र। यह एक दस दिवसीय कार्यक्रम था जो 1986 से 1990 तक चला तथा जिसकी सहायता से 18 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विभिन्न राज्यों के एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से चलाया गया। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए फिल्मों, मुद्रित पैकेज इत्यादि को अध्यापकों के लाभार्थ देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित (टेलीकॉस्ट) किया गया। प्रसारण के प्रत्येक सत्र से पूर्व तथा पश्चात् चर्चा की जाती थी।
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की प्राप्ति संबंधी योजना के एक अंश के रूप में प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्राथमिक विद्यालयी



अध्यापकों के लिए एक विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम वर्ष 1993-94 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस था प्राथमिक अवस्था के लिए निर्धारित अधिगम के न्यूनतम स्तरों (MLLs) का कार्यान्वयन, प्राथमिक विद्यालयी अध्यापकों को दी गई आपरेशन ब्लैक बोर्ड सामग्री का उपयोग, अध्यापन में बाल केन्द्रित उपागम को अपनाने के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करना। इस कार्यक्रम में प्रति वर्ष 4.5 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करना निर्धारित किया गया।

- पिछले कुछ वर्षों में व्यापक अभिमुखीकरण की दोनों योजनाओं के माध्यम से लगभग 20 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

8.3.4 विशेष आवश्यकताओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षण

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की देखभाल/शिक्षा के लिए एन.सी.ई.आर.टी. ने एक प्रावधान रखा है कि सभी अध्यापकों व शिक्षा अधिकारियों को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए सभी मुख्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष आवश्यकताओं संबंधी एक घटक सम्मिलित किया जाए। इसका बल सामान्य अध्यापकों को तैयार करना है परंतु इसके साथ-साथ कक्षा में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देते हुए प्राथमिक विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों में परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ना है। ऐसे अध्यापक जिन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाना है, उन की सहायता बहु-वर्गीय प्रशिक्षित अध्यापक करेंगे; अर्थात् वे अध्यापक जिन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं और एन.सी.ई.आर.टी. में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण ले रखा है। वे अध्यापक जिनकी नियुक्ति विशेष विद्यालयों में हुई है, अधिकांशतः एकल अक्षमता विद्यालय हैं और कुछ बहु-अक्षमता विद्यालय भी हैं (जैसे स्पस्टिक्स, सेरेबरल लाल पाल्सी इत्यादि) – उनका प्रशिक्षण राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान (National Institute for Handicapped) में हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ गैर-सरकारी संगठन भी हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अब कुछ विश्वविद्यालयों ने भी विशेष शिक्षा में बी.एड. तथा एम.एड. कार्यक्रम आरंभ कर दिए गए हैं।

8.3.5 प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक-शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या

- एक प्राथमिक अध्यापक, विशेषतः पहली तीन कक्षाओं को मुख्यतः लिखना-पढ़ना, अंकगणित तथा जीवन कौशलों का अध्यापन करता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक से यह अपेक्षा होती है कि वह बच्चे के विकास तथा वृद्धि की प्रक्रिया से अवगत हो तथा यह भी जानता हो कि बच्चा कैसे सीख सकता है।
- प्राथमिक अध्यापक शिक्षा का विकास राज्य सरकारों/अध्यापक शिक्षा राज्य बोर्ड द्वारा किया जाता है तथा समय-समय पर इस का पुनर्रीक्षण किया जाता है।
- एन.सी.ई.आर.टी. ने प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रतिरूप (मॉडल) पाठ्यचर्या का विकास



किया है। राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय इसे ऐसे का ऐसा अपना सकते हैं अथवा अपनी आवश्यकतानुसार इसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यचर्याओं का समय-समय पर संशोधित करती रहती है। इस इकाई के अगले भाग (8.5) में हम हाल ही में विकसित पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, जैसा कि एन.सी.ई.आर.टी. ने प्रस्तावित किया है, का अध्ययन करेंगे।

8.3.6 प्रशिक्षण के लिए संस्थागत आधारिक सुविधाएँ (इंफ्रास्ट्रक्चर)

अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु मूल आधारिक सुविधाएँ केन्द्रीय, राज्य, क्षेत्रीय, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर विद्यमान होता है। आप इस पाठ्यक्रम की इकाई 4 में इसके विषय में पहले ही पढ़ चुके हों। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्थाएँ हैं: एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT), एन.यू.ई.पी.ए. (NUEPA), केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान (CIEFL), हैदराबाद; तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), मैसूर। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं जो देश के चार क्षेत्र – उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित हैं। हाल में ही एक और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग में स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं। राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी., जिला स्तर पर जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (DIETs), तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर कहीं-कहीं राज्य शिक्षा संस्थान (SIEs), राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (SIScE), शिक्षा में उच्चतम अध्ययन संस्थान (IASE), केन्द्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान (CIETs) तथा राज्य अध्यापक शिक्षा संस्थान (SIETs) हैं। जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हाल ही में, उप-जिला स्तर अर्थात् खंड तथा संकुल (कलस्टर) स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। शुरु में इन केन्द्रों को उन जिलों में खोला गया है जो डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत आते हैं।


8.3.7 अध्यापकों की भर्ती

विभिन्न राज्य अलग-अलग भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं। प्रायः अध्यापकों की भरती एक प्रतियोगिता – परीक्षा में प्रत्याशियों के निष्पादन के आधार पर की जाती है, तथापि कुछ राज्यों में भर्ती का आधार प्रत्याशी की शैक्षिक तथा सांवृत्तिक (professional) पृष्ठभूमि भी होती है। किसी प्रत्याशी की मैरिट का निर्धारण, प्रत्याशी द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षाओं तथा अध्यापन अनुभव (यदि कोई है तो) के आधार पर किया जाता है। कुछ अन्य राज्यों में दोनों प्रविधियों – अर्थात् प्रतियोगिता परीक्षा में निष्पादन तथा शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर बनी मेरिट, को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ भारिता प्रत्याशी की मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) को दी जाती है।



8.4 प्रारंभिक अध्यापकों शिक्षा के लिए “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क” (एन.सी.एफ.टी.ई.) 2009 के प्रमुख पक्ष

अध्यापक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा का एक पारस्परिक तथा अन्योन्य संबंध है जिसमें प्रत्येक दूसरे को प्रभावित करती है। अच्छी अध्यापक शिक्षा अच्छे अध्यापकों का निर्माण करेगी। ये अध्यापक विद्यालयी विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे और विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा के लिए सुधार आएगा। अतः समग्र शिक्षा में गुणात्मक सुधार अध्यापक शिक्षा के पुनरुद्धार के द्वारा ही हो सकता है जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर तीव्रता से बदल रहे शिक्षा के परिदृश्य की अनिवार्यताओं के अनुसार होना चाहिए।



आकृति 8.3

इन विभिन्न अवस्थाओं के लिए प्रस्तावित ढाँचा नीचे विवेचित है।

8.4.1 स्तर-1 प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा (कक्षा I से V)

8.4.1.1 तर्काधार

प्रशिक्षण प्रक्रिया या प्रविधि द्वारा अध्यापक का सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है ताकि उसे समाज की जटिलताओं और विकासात्मक प्रक्रिया के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का बोध हो सके। जैसा आप जानते हैं कि अध्यापक की रूपरेखा अध्यापन का विशेषज्ञ से हटकर अधिगम का सुसाध्यक के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ.टी.ई.) में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक लचीला ढाँचा प्रस्तुत किया है जिसमें स्थानीय वातावरण के साथ अनुकूलन की काफी गुंजायश है।

8.4.1.2 पाठ्यक्रम विषयवस्तु

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ.टी.ई.) में उल्लिखित “विकासशील भारतीय समाज” नामक पाठ्यक्रम में उन दबाव क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया जो एन.सी.एफ., 2005 में सुझाए गए हैं जैसे बच्चों के अधिकार, मानव अधिकार शिक्षा, मूल्य और उनकी सामान्य विशेषताएँ, देश में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक



विकास के परिप्रेक्ष्य; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया की महत्वपूर्ण घटनाएँ इत्यादि। इनका उद्देश्य अध्यापक को उन प्रासंगिक यथार्थताओं से अवगत कराना है जिनमें उसे कार्य करना है।

- अध्यापन और अधिगम के मनोविज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा आदि पाठ्यक्रमों में वे अनिवार्य सैद्धांतिक घटक हैं जिनकी आवश्यकता अध्येता, समुदाय, तथा समाज को समझने के लिए पड़ती है। इनमें आंतरिक तथा बाह्य बलों का उद्देश्य है जो विद्यालय को प्रभावित करते हैं; साथ ही साथ उन कारकों का भी उल्लेख है जो अध्येता को प्रभावित करते हैं।
- विद्यालय संगठन तथा प्राथमिक विद्यालयी विषयों का शिक्षणात्मक विश्लेषण भी अनिवार्य है क्योंकि ये एक अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं।

8.4.1.3 प्रशिक्षण

- प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार के संघटन से उनके मध्य अर्थपूर्ण और अन्योन्यक्रियात्मक संबंध स्थापित होते हैं।
- अधिगम के पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों तथा बाह्य वातावरण के मध्य स्थापित किया गया है।
- अध्यापकों को अपने व्यवसाय में बहुत-सी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अतः उन तरीके के जिससे अध्यापक मुद्दों को संबोधित करते हैं तथा अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, सुधारने के लिए प्रशिक्षण में क्रियात्मक शोध का समावेश किया गया है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ.टी.ई.) में यह सुझाया है कि विभिन्न राज्य पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को संगतता प्रदान करने तथा क्षेत्र-विशिष्ट बनाने के लिए अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ सकते हैं।

8.4.1.4 पाठ्यचर्या संचालन

पाठ्यचर्या संपादन के तीनों घटकों – सिद्धांत, शिक्षणशास्त्र तथा प्रायोगिक कार्य – को सोच समझ कर एकीकृत करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य प्रतिबद्ध, विमर्शक तथा प्रभावी अध्यापकों को तैयार करना है। इन तीनों घटकों का संबंध कैसे रखना है, नीचे उल्लिखित है।

- **सिद्धांत:** सैद्धांतिक रूप में पाठ्यचर्या संपादन में बल अन्योन्यक्रियात्मक, सहभागी तथा क्रिया-उन्मुख उपागम पर दिया गया है। इसमें व्याख्यान, चर्चा, सेमिनार, मीडिया समर्थित अध्यापन, ट्यूटीरियल, स्व-अध्ययन तथा प्रायोगिक क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। प्रशिक्षण की अवधि में विषय आधारित ज्ञान को उचित महत्व दिया गया है।



- **शिक्षण-शास्त्र विश्लेषण (पेडागॉजी विश्लेषण):** शिक्षण-शास्त्र का संबंध इस बात से है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए या आप कैसे पढ़ाते हैं। यह प्रभावी अध्यापन का विज्ञान है जिसका संबंध विषयवस्तु के अनुसार उपयुक्त अध्यापन विधियों के संघटन या एकीकरण से है। विद्यालयी विषयों का शिक्षण-शास्त्रीय विश्लेषण शिक्षण अभ्यास का अनिवार्य घटक है। शिक्षण-शास्त्रीय विश्लेषण एक अध्यापक की उद्देश्यों, कक्षा प्रबंधन, तथा मूल्यांकन व्यूहरचनाओं को समझने में सहायता करता है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कक्षा अध्यापन के लिए विषयवस्तु का ठीक ज्ञान, शिक्षण-शास्त्रीय विश्लेषण और आधारिक पाठ्यक्रमों के आधार पर प्राप्त पूरी जानकारी (या सूक्ष्म दृष्टि) का सही प्रयोग किया जाएगा।
- **प्रायोगिक क्रियाकलाप:** सैद्धांतिक अवधारणाओं के आन्तरीकरण के लिए प्रायोगिक कार्य एक अनिवार्य घटक माना जाता है। अतः इस प्रकार प्रायोगिक क्रियाकलाप सैद्धांतिक निवेश के प्रत्येक पक्ष पर आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रायोगिक क्रियाकलाप जो विभिन्न विद्यालयी अनुभवों, कार्य शिक्षा, विद्यालय समुदाय अन्योन्यक्रिया, क्रियात्मक शोध संबंधी परियोजनाएँ तथा अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की ओर निदेशित हैं, भावी अध्यापकों द्वारा संपादित किए जाएँगे।



क्रियाकलाप-2

निम्नलिखित में से प्रत्येक से संबंधित पाठ्यचर्या संपादन के लिए तीन नए विचारों का सुझाव दीजिए:

- सिद्धांत
- शिक्षण-शास्त्र
- प्रायोगिक क्रियाकलाप

8.4.1.5 अध्यापक-शिक्षकों की भूमिका

इस स्तर पर पाठ्यचर्या संपादन में अध्यापक-शिक्षकों की भूमिका चुनौतीपूर्ण बन जाती है क्योंकि उन्हें पाठ्यक्रम संपादित करने में शुरु से अंत तक योजना बनाने, विश्लेषण करने, मॉनीटर करने तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता रहती है। इससे अध्यापक शिक्षकों को और अधिक जोर से अपने कार्य में लगे रहने की आवश्यकता होती है।

8.4.1.6 मूल्यांकन

आप यह तो जानते ही हैं कि मूल्यांकन का प्रयोजन है यह मालूम करना कि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम की प्रभाविता के निर्धारण में सहायक होता है। मूल्यांकन पद्धति में सिद्धांत, अध्यापक



यापन अभ्यास तथा प्रायोगिक कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपेक्षित निष्पत्तियों का ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट है कि मूल्यांकन अध्यापन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सतत् किया जाना चाहिए (सतत् और व्यापक मूल्यांकन), न केवल अंतिम चरण के रूप में। अतः इनमें से प्रत्येक पक्ष के मूल्यांकन की ध्यानपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह महसूस किया जाता रहा है कि बाह्य परीक्षाओं को दूर हटाकर आंतरिक सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन पद्धति स्थापित कर दी जाए। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए सतत् और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, बाह्य परीक्षा को बिना हटाए आंशिक रूप में लागू कर दी गई है। बाह्य परीक्षाओं को पूर्ण रूप से हटाने के पक्ष में बहुत सारे व्यक्ति अभी नहीं हैं।

8.4.1.7 मूल्यांकन के उपकरण

प्रत्येक पक्ष के उद्देश्यों पर आधारित उपयुक्त मूल्यांकन उपकरणों का चयन करने या उनका अभिकल्पन करने की आवश्यकता है। जैसे:

- कागज-पैसिल परीक्षण जिनमें वस्तुगत आधारित प्रश्न हों। इसके अतिरिक्त निबंधात्मक, लघु उत्तर प्रकार तथा वस्तुगत प्रकार के प्रश्नों का एक संतुलित समिश्रण
- मौखिक परीक्षाएँ
- निष्पादन आधारित जैसे शिक्षण अभ्यास, विभिन्न क्रियाकलाप में सम्मिलित होना, जिनका मापन चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल तथा प्रेक्षण शिड्यूल इत्यादि द्वारा किया गया हो।

मूल्यांकन आंतरिक, बाह्य या दोनों का एक विवेकपूर्ण संयोजन हो सकता है। अंकों की बजाए ग्रेड (श्रेणी) प्रदान करना संवृत्तिक रूप से एक ठोस कदम है, क्योंकि इससे अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के वर्गीकरण को प्राथमिकता नहीं मिलती, इसके द्वारा अध्येताओं में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर किया जा सकता है। इससे सामाजिक दबाव भी कम हो जाता है जिससे दबाव रहित अधिगम वातावरण मिलता है।



क्रियाकलाप-3

उपर्युक्त विषयवस्तु के आधार पर प्रत्येक पक्ष पर तीन प्रश्न बनाएँ। प्रत्येक प्रश्न "क्या", "क्यों" और "कैसे" पर आधारित हो या आरंभ हो। और जिसका उत्तर लगभग 200 शब्दों में दिया जा सके।

क्या 1.



क्यों 2.

.....

.....

.....

कैसे 3.

.....

.....

.....

8.4.2 अवस्था-2 प्रारंभिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा (कक्षा I से VIII तक)

8.4.2.1 तर्काधार

“शिक्षा का अधिकार” अधिनियम का विकास 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता से हुआ है। इस आयु वर्ग के अंतर्गत पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की **स्थूल संक्रियात्मक अवस्था से अमूर्त तर्कणा प्रक्रिया** तक का एक क्रमिक परिवर्तन सम्मिलित है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि अध्यापन और अधिगम प्रक्रियाओं में परिवर्तन तथा अध्यापन-अधिगम व्यूहरचनाओं में क्रमिक परिवर्तन अध्येताओं की परिपक्वता से मेल खाते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होना चाहिए।

8.4.2.2 पाठ्यक्रम विषयवस्तु

- **विकासशील भारतीय समाज में शिक्षा** नामक पाठ्यक्रम के अध्ययन से भावी अध्यापक समाज की उन अपेक्षाओं को समझ सकें जिन्हें समाज शिक्षा के माध्यम से पूरा करनी चाहता है। इस अवस्था पर “भारत में प्रारंभिक शिक्षा” के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, “स्थिति, समस्याएँ तथा मुद्दे प्रस्तावित किए हैं जो अध्यापकों में यह परखने की योग्यता का विकास करेंगे कि क्या ये अपेक्षाएँ पूरी हो सकती हैं?
- **अध्यापन तथा अधिगम का मनोविज्ञान** नामक पाठ्यक्रम के आधार पर आप इस योग्य हो जाएँगे कि आप बच्चों में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त अध्यापन कार्यनीतियों का निर्माण कर सकें।
- **स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा** पर पाठ्यक्रम आपमें इस योग्यता का विकास करेगा जिससे आप अच्छे शारीरिक विकास के लिए ठोस व्यायाम/कसरत की योजना बना सकेंगे। इसके आधार पर आप विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की भी सहायता कर सकते हैं।
- निर्देशन और परामर्श पर पाठ्यक्रम आपको इस योग्य बना सकेगा कि उन बच्चों की सहायता कर सकेंगे जो किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं।



8.4.2.3 प्रशिक्षण

भावी अध्यापकों को इस रूप में तैयार करना है ताकि वे अध्यापन पूर्व, अध्यापन अवधि तथा अध्यापन पश्चात् के चरणों में अपना कार्य सफलतापूर्वक संपादित कर सकें। इसके लिए निम्नलिखित क्षमताएँ विकसित करने की आवश्यकता है:

- **क्रियात्मक शोध:** इससे अध्यापकों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होगा।
- **शिक्षण-शास्त्रीय विश्लेषण (पैडागोजिकल विश्लेषण):** इस योग्यता के विकास के फलस्वरूप भावी अध्यापक प्रारंभिक स्तर पर विषयों को पढ़ाने में निहित जटिलताओं को समझ सकेंगे। इससे वे शैक्षिक व्यूहरचनाओं की योजना बना सकेंगे। एक वास्तविक कक्षा वातावरण में प्रतिरूप पाठ (model lesson) और अध्यापन अभ्यास का विवेचित प्रेक्षण एक प्रभावी और सक्षम अध्यापक के निर्माण में सहायक होगा।
- किसी विद्यालय में किया गया इंटर्नशिप आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे अनुभव प्रदान करेगा जो किसी विद्यालय में काम करने के लिए अनिवार्य है। आप कार्य और अनुभव तथा हाथ से कार्य करने की गरिमा के शैक्षिक मूल्य का आंतरिकरण करेंगे।
- विद्यालय समुदाय अन्तःक्रिया न केवल दोनों के अन्योन्यक्रियात्मक सहारे को प्रोत्साहित करेगी, अपितु इसके द्वारा बच्चों के लिए एक उपयुक्त शिक्षण-शास्त्र का विकास भी कर पाएँगे। शैक्षिक क्रियाकलाप का आयोजन आपमें उस क्षमता का विकास करेगा जिससे आप उन सभी क्रियाकलाप की योजना और कार्यान्वयन कर सकेंगे जो बच्चे के विकास के लिए अनिवार्य होती है। इस ढाँचे में प्रस्तावित सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पाठ्यक्रम एक सक्षम व योग्य प्रारंभिक विद्यालय के निर्माण को प्रभावित करेंगे।

8.4.2.4 पाठ्यचर्या संपादन

सिद्धांत (थ्योरी): पाठ्यचर्या संपादन के लिए भली-भाँति विवेचित तथा अभिकल्पित विभिन्न उपागमों, जैसे व्याख्यान-चर्चा, सहकारी अध्ययन, प्रायोगिक तथा निदर्शन (demonstration) तकनीक, स्व-अध्ययन, तकनीक तथा परियोजनाओं, विभिन्न कार्यनीतियों तथा शैक्षणिक सामग्री का संयोजित करें, सहायक मीडिया का प्रयोग करें, अधिक से अधिक सक्रिय/सहभागी क्रियाकलाप की योजना बनाएँ, क्षेत्र भ्रमण तथा दौरे आयोजित करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या संपादन का मेल विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के साथ हो।

शिक्षण-शास्त्र (पेडागॉजी): अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया के दौरान वर्तमान अध्यापन तकनीकें तथा कार्यनीतियाँ, स्वतंत्र अध्ययन, स्व-खोज, व स्व-अध्ययन को प्रोत्साहित नहीं करती है। इन उपागमों में भावी अध्यापकों की भागीदारी कम से कम होती है और अधिकांशतः अध्यापन एक एकतरफा संप्रेषण होता है। यहाँ तक कि सहकारी अधिगम उपागम को भी व्याख्यान विधि से ही पढ़ाया जाता है। उपर्युक्त व्यूहरचनाएँ तथा तकनीक



भावी अध्यापक की उनके अपने विद्यार्थियों पर अभ्यास करने में सहायता करती है क्योंकि वे इनके प्रयोग का प्रत्यक्ष निदर्शन कर पाते हैं।

अध्यापन अभ्यास: जो अध्यापक शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है, यदि इसे ठीक तरीके से आयोजित किया जाए तो इसमें वह क्षमता निहित है कि यह सबसे मजबूत घटक में परिवर्तित हो सकता है। पाठ्यचर्या संपादन की प्रक्रिया में सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता है। अध्यापन विषयों के शैक्षणिक विश्लेषण से निश्चित रूप से अध्यापन और अधिगम में सूक्ष्मता एवं परिमार्जन आएगा क्योंकि यह अध्यापक के निष्पादन को रूपांतरित कर देगा और उन योग्यताओं का विकास करेगा जो विधि-विषय वस्तु संयोग उपागम से संभव नहीं है। शिक्षण-शास्त्र विश्लेषण की पृष्ठभूमि में और अध्यापक-शिक्षक द्वारा दिए गए प्रतिरूप तथा निदर्शन पाठ के साथ, कक्षा का निष्पादन निश्चित रूप से सुधरेगा, यदि इसका पर्यवेक्षण विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाए।

प्रायोगिक कार्य: कार्य शिक्षा प्रायोगिक कार्य का एक महत्वपूर्ण घटक है, और इसकी अंतःशक्तियों का उपयोग चरित्र के कुछ गुणों का विकास करने के लिए अध्यापक शिक्षा द्वारा करना होगा। पारस्परिक रूप से समर्थित विद्यालय-समुदाय अन्योन्यक्रिया उपयुक्त अध्यापन व्यूहरचनाओं का विकास करने में अध्यापकों की सहायता कर सकती है।

अध्यापकों को विद्यालय में शैक्षिक क्रियाकलाप आयोजित करने होते हैं। उन्हें ऐसे क्रियाकलाप अनिवार्य रूप से आयोजित करने सीखने होंगे ताकि आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त हो सकें तथा अध्यापक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सकें। उन्हें संपूरक सामग्री का प्रयोग कर सकने के लिए प्रशिक्षित करना होगा जो विद्यार्थियों में अधिगम को प्रोत्साहित करने और उसमें तेजी लाने के लिए अनिवार्य हैं।

8.4.2.5 अध्यापक-शिक्षकों की भूमिका

अध्यापक-शिक्षक भावी अध्यापकों के शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक (भावात्मक) तथा सौंदर्यबोधक विकास को सुसाध्य बना सकेंगे। भावी अध्यापकों के सृजनात्मक तथा रचनात्मक व्यक्तियों को पोषित करने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रायोगिक कार्य सहायक होंगे। अतः ऐसे क्रियाकलाप का निरंतर रूप से आयोजित करते रहना अनिवार्य है। अध्यापकों के व्यक्तित्व और व्यवहार का विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शैक्षणिक व्यूहरचनाओं के चयन और अंगीकरण के लिए अध्यापक-शिक्षक को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि अध्यापन सहभागी, सहकारी, क्रिया-केन्द्रित तथा रुचिकर बन जाए ताकि भावी अध्यापक भी ऐसा ही परिवर्तन अपने अध्यापन-अधिगम व्यवहार में ला सकें।

अध्यापक शिक्षा के द्वारा भावी अध्यापकों में सांवृत्तिक (**professional**) प्रतिबद्धता, तथा सक्षमताओं का विकास होना चाहिए और यह ऐसी ही जो विशिष्ट अवस्थितियों के साथ निपटने के लिए अध्यापक को विमर्शी बना सकें।



8.4.2.6 मूल्यांकन

इस अवस्था में मूल्यांकन सतत् हो, रचनात्मक तथा व्यापक हो ताकि अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा सके। क्रमबद्ध मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक उपयुक्त अध्यापन तकनीकों का चयन करने में सक्षम हो सकेगा तथा पाठ्यचर्यात्मक प्रक्रिया में उपयुक्त परिवर्तन ला सकेगा।

प्रारंभिक स्तर पर छात्र-अध्यापक का मूल्यांकन प्राथमिक अवस्था पर उसके मूल्यांकन से कोई अधिक अलग नहीं होगा और लगभग वही सिद्धांत तथा पद्धतियों जो प्राथमिक अवस्था के लिए अपनाई गई थी इस अवस्था के लिए भी उतनी ही उपयुक्त होंगी।

8.4.2.7 मूल्यांकन के उपकरण

पाठ्यचर्या संपादन की सफलता या असफलता इस बात से जानी जाती है कि मूल्यांकन में वैध और विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग हुआ है अथवा नहीं। इन मूल्यांकन उपकरणों से आप पहले से ही अवगत हैं।



क्रियाकलाप-4

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की दोनों अवस्थाओं की तुलना कम से कम पाँच बिन्दुओं पर करें।

.....

.....

.....

.....


.....

8.5 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के प्रतिरूप (समेकित प्रतिरूपों समेत)

शिक्षा आयोग (1964-66) में उल्लिखित है कि विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए पाठ्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए (अनुच्छेद 4.26, पृ. 136)। ऐसे प्रभावी अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रम बनने चाहिए जो नवाचारों और नए विचारों की संस्कृति को प्रोत्साहित करें और जिन्हें आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार में लाया जा सके। अध्यापकों को प्रशिक्षित करना एक जटिल समस्या है। भारत सरकार ने बच्चों को शिक्षित करने के महत्व को पहचान लिया है क्योंकि शिक्षा से ही ऐसे अभिज्ञ युवकों का निर्माण हो सकता है जो



राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था के लिए अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम बनाने संबंधी तीन स्पष्ट संभावनाएँ हैं, जो नीचे आकृति 8.4 में दर्शाई गई हैं:



आकृति 8.4

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण को ध्यान में रखते हुए, "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क" (एन.सी.एफ.टी.ई.) 2009-10 प्राथमिक और प्रारंभिक स्तरों के लिए अलग-अलग पाठ्यचर्याओं की सिफारिश करता है; क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से काफी कम है (क्रमशः 1.76 लाख तथा लगभग 5.98 लाख)।

स्रोत: *Selected Educational Statistics, 1996-97 retrieved from <http://www.ncte-india.org/pub/curr/curr.htm#26> on 17th August 2011.*

8.5.1 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (Diploma in Elementary Education - D.El.Ed.)

यह डिप्लोमा उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने 12 वर्षीय विद्यालयी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और वे प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाने के इच्छुक हैं। इस पाठ्यक्रम की शैक्षणिक अवधि 2 वर्ष है, परंतु इसके अतिरिक्त 6 महीने की अवधि इंटर्नशिप के लिए निर्धारित की गई है। इसकी पाठ्यचर्या में तीन घटक हैं:

- 1) **सिद्धांत (थ्योरी):** प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक पाठ्यचर्या में 9 पाठ्यक्रम हैं; तथा द्वितीय वर्ष के लिए 8 पाठ्यक्रमों का प्रावधान है। इसके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए संबद्ध प्रायोगिक कार्य भी सम्मिलित हैं।
- 2) **प्राैक्टीकम:** इसके ऐसे क्रियाकलाप जैसे सूक्ष्म अध्यापन, अध्यापन अभ्यास, सामाजिक सेवा, संगीत, कला, तथा शारीरिक शिक्षा सम्मिलित हैं।
- 3) **इंटर्नशिप:** इसमें 6 महीने के लिए किसी नियमित विद्यालय के साथ संबद्ध होना होगा और नियमित रूप से कक्षा अध्यापन करना होगा। इससे विभिन्न अध्यापन कौशलों का विकास/संवर्धन होगा।

नोट: कई राज्यों में उपर्युक्त कार्यक्रम का नाम डी.टी.एड. (डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन) है।



8.5.2 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में सुधार लाना

शिक्षा विभिन्न विधाओं पर आधारित ज्ञान है। यह मात्र कुछ अभ्यंतर विशेष विद्याओं का अनुप्रयोग नहीं है, अपितु एक आचरण या अभ्यास है, एक प्रसंग या परिस्थिति है जहाँ सिद्धांत और प्रायोगिक विवेक निरंतर जन्म लेते रहते हैं। समय के साथ-साथ अध्यापक शिक्षा संस्थाएँ विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों में रूपांतरित हो गए, परंतु प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षा तथा पूर्व बाल्यकाल शिक्षा तथा देखभाल एक पृथक ज्ञानक्षेत्र रूप में उपेक्षित रह गए जिनके अपने अलग मुद्दे थे, अवधारणाएँ तथा प्रविधि संबंधित परिप्रेक्ष्य थे।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ.), 2005 के आधार पर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए सेवापूर्व प्रशिक्षण की विषयवस्तु प्राथमिक अध्यापक के प्रकार्य और उसकी भूमिका से निकल कर आनी चाहिए तथा उसमें ऐसे प्रशिक्षणार्थी तैयार करने की क्षमता हो जो प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या को प्रभावी रूप से संचालित कर सकें।

बदलते समय तथा विद्यालयी पद्धति में इसकी भूमिका और महत्व के बारे में उभरते अवबोधन के कारण डी.एड. पाठ्यचर्याओं में काफी परिवर्तन आ रहे हैं। यह वर्तमान प्रयासों जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, 2005; शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009; मानवाधिकार तथा बच्चों के अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, मल्टीपल इंटैलिजेंस, सहभागी अधिगम इत्यादि के संदर्भ में विशेष रूप से संगत लगते हैं।

ऐसे नए प्रकरणों को सम्मिलित करने के लिए जो वर्तमान परिदृश्य से मेल खाते हों, के लिए एक ऐसी सहभागी पाठ्यचर्या की आवश्यकता पड़ती है जिसमें सभी स्टेकहोल्डर सम्मिलित हों। अध्यापक शिक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में मॉड्यूलर उपागम, कौशलों का सीखना तथा उनका अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यनीतियों तथा सामग्री विकास के लिए एक सांवृत्तिक उपागम तथा संगत प्रौद्योगिकीय, पाठ्यचर्यात्मक, तथा संगठनात्मक विकल्पों की आवश्यकता होती है।

प्रारंभिक अध्यापकों की भूमिका को दृष्टिगोचर रखते हुए पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम सामग्री होनी चाहिए। ये विभिन्न पाठ्यक्रम नीचे दर्शाए गए हैं।

I	आधारीय पाठ्यक्रम
II	विभिन्न विषयों में प्रविधि-संबद्ध विषयवस्तु
III	आधारीय पाठ्यक्रम
IV	प्रायोगिक कार्य

आकृति 8.5

शिक्षा का संबंध विभिन्न विशेष विद्याओं से है। वास्तव में इसकी मूल अवधारणाएँ ऐसे विषयों जैसे दर्शन, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान से निकली हैं। शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं को



समझने के लिए, इन विषयों को और विशेषतः इन विषयों के शिक्षा में निहितार्थों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पाठ्यक्रमों के मुख्य प्रकार्य भावी अध्यापकों में अध्यापन-प्रक्रियाओं की प्राथमिकताओं और समस्याओं में अंतर्दृष्टि विकसित करने में सहायता करते हैं। ऐसी मान्यता रही है कि इन पाठ्यक्रमों में सम्मिलित अवधारणाएँ कक्षाओं में उचित परिप्रेक्ष्य में अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया को आयोजित करने में आपको सक्षम बना देंगी।

डी.एड. पाठ्यचर्या के निर्माण में की गई नवीनतम पहलें अधिक सार्थक, उचित तथा उत्कर्ष अभिमुख है। ऐसी आशा है कि वे विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में काफी काम आएँगी।

8.5.3 नए प्रतिरूपों की आवश्यकता

क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार बन चुका है, अतः आरंभिक प्राथमिक शिक्षा का एक विशेष महत्व है। यह संभव है कि प्रारंभिक या प्राथमिक प्रारंभिक की पूर्ति के बाद बहुत से विद्यार्थी किसी न किसी कारणवश विद्यालय छोड़ सकते हैं, परंतु एक जागरूक तथा उत्पादी नागरिक के रूप में उन्हें राष्ट्रीय विकास में योगदान देना है, अतः प्रारंभिक/प्राथमिक शिक्षा का व्यक्ति तथा राष्ट्र विकास में एक निर्णायक महत्व है। यह बात माननी होगी कि एक बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी में जिसमें विषयों का मात्र आरंभिक ज्ञान है, प्रारंभिक स्तर (कक्षा 3 से 8 तक) पर पढ़ाने के योग्य अध्यापक बनने की क्षमता विकसित नहीं हुई है। और न ही इस पाठ्यक्रम की छोटी-सी अवधि में आवश्यक शैक्षणिक ज्ञान से वह प्राप्त कर पाया है जिससे वह बच्चों के अधिगम को सुगम बना सके और उनकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तथा अधिगम आवश्यकताओं को समझ सके।

इससे पूर्व बनाए गए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में दिए गए निर्देशक सिद्धांत अत्यंत सामान्य हैं और वे प्रारंभिक अध्यापकों की अवस्था विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान नहीं करते। हालाँकि पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (1998) इस संदर्भ में एक स्वागत योग्य अपवाद है। संभवतः यह पहला प्रयास है जिसमें अवस्था विशिष्ट निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। डाइटों की स्थापना प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के मुद्दे को राष्ट्र स्तर पर लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है।

आपने “गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा के पाठ्यचर्यात्मक ढाँचे” (1998) के विषय में पहले ही पढ़ लिया है। इसके अतिरिक्त इन मुद्दों को संबोधित करते हुए एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण (2003) के लिए एप्रोच पेपर (प्रस्ताव लेख) को भी शायद आपने पढ़ा होगा।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से योग्यता प्राप्त अध्यापक-शिक्षकों की आवश्यकता को अभी तक सही रूप में अनुभव नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता रहा है कि विभिन्न अवस्थाओं के लिए अध्यापक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था अध्यापक-शिक्षकों के लिए भी उतनी ही कारगर होगी; जैसे प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षक के लिए बी.एड. होना पर्याप्त होगा



तथा इसी प्रकार माध्यमिक अध्यापक-शिक्षक के लिए एम.एड.। आजकल प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षक एम.एड. करके अपनी व्यावसायिक (सांवृत्तिक) योग्यताओं को उन्नत करते हैं। प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षकों का प्रशिक्षण भी एम.एड. संकाय (फैकल्टी) से करावाया जाता है। अधिकांश राज्यों में वर्तमान एम.एड. प्रारंभिक अध्यापक-प्रशिक्षण की अपेक्षाओं या शर्तों को पूरा नहीं करते, क्योंकि उनकी एम.एड. की उपाधि माध्यमिक शिक्षा की शर्तों/आवश्यकताओं पर ही आधारित होती है। शिक्षा में उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव के कारण, प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की बात को छोड़कर अन्य सभी प्रकार्य उन व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जाते हैं जो माध्यमिक स्तर के लिए प्रशिक्षित होते हैं।

इस प्रकार आपने देखा कि प्रवेश संबंधी योग्यताओं और प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाकर आरंभिक अध्यापक शिक्षा का उन्नयन करने की घोर आवश्यकता है।

8.5.4 नई पहलें

बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारी पाठ्यक्रम

बहुत से शिक्षाविदों का विचार है कि प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक स्नातक कार्यक्रम के समतुल्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन तथा नियंत्रण किसी सांवृत्तिक (व्यावसायिक) जो विश्वविद्यालय संकाय की स्थिति (पद के समान हो, को सौंपा जाना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रयास हो रहे हैं:

- जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कुछ नवाचारी पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं जिनमें एक विशेष पाठ्यक्रम "प्रारंभिक शिक्षा में एम.एड." है।
- टी.आई.एस.एस. भी मुंबई में प्रारंभिक शिक्षा में एम.एड. कार्यक्रम चला रही है।

स्नातकों के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में अध्यापन के लिए एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम

ऐसा विचार किया जा रहा है कि एक-वर्षीय बी.एड. (शिक्षा) पाठ्यक्रम चलाया जाए जो दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के समतुल्य हो। इससे प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक-प्रशिक्षण को उन्नत कर उच्च शिक्षा स्तर तक ले जाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रारंभिक शिक्षा का स्नातक कार्यक्रम (बी.एल.एड.) – एक चार वर्षीय समेकित सांवृत्तिक (व्यावसायिक) स्नातक कार्यक्रम

यह कार्यक्रम बारहवीं कक्षा के पश्चात् चलाया जाता है जो चार वर्ष की अवधि का है। इस कार्यक्रम में पेडागॉजी के अतिरिक्त स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। यह द्विभाषी कार्यक्रम है जिसकी अवधारणा मौलाना आजाद सेंटर फॉर एलिमेंटरी एंड सोशल एजुकेशन ने दी थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग का एक भाग है यह कार्यक्रम



1994-95 से आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम ऐसे प्रारंभिक विद्यालयी अध्यापकों की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास है जो सांवृतिक रूप से योग्य हैं। यह कार्यक्रम विषय के ज्ञान, मानव विकास, शैक्षणिक ज्ञान तथा संप्रेषण कौशलों को समेकित करते हुए अभिकल्पित किया गया है।

इस कार्यक्रम के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सरोकारों को विश्वविद्यालय प्रणाली में समेकित कर दिया गया है जिसकी पहल दिल्ली विश्वविद्यालय ने काफी पहले कर दी थी। इससे प्रारंभिक विद्यालय अध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान की जाती है।

इस समय यह कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 8 महिला कालेजों में चलाया जा रहा है। 1998 के पश्चात् 3000 से अधिक अध्यापकों को उपाधि मिल चुकी है। इनमें काफी अध्यापकों को व्यावसायिक रूप से योग्य प्रारंभिक विद्यालय अध्यापकों के रूप में सरकारी और निजी विद्यालयों में नियोजित किया जा चुका है। इनमें अन्य शिक्षा, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, विभिन्न भाषाओं, इतिहास, सामाजिक, समाजशास्त्र, गणित, राजनीतिशास्त्र, जैसे विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन तथा शोध कार्यों में व्यस्त हैं। इनमें से बहुत से स्नातक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षाशास्त्र में शोध कर रहे हैं। और कुछ अध्यापक-शिक्षक भी बन गए हैं।

बी.एल.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उच्च योग्यता युक्त स्नातकों का निर्माण करना है। विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें सहायक तथा प्रोत्साहित करने वाला वातावरण देने के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं। जो विद्यार्थी बी.एल.एड. करते हैं उनके सम्मुख अकादमिक तथा व्यावसायिक दोनों विकल्प खुले रहते हैं जो निम्नलिखित हैं:

प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ाना (कक्षा I से VIII तक) एम.सी.डी./एन.डी.एम.सी./सर्वोदय विद्यालय (दिल्ली में) केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा निजी विद्यालयों में।
प्रारंभिक विद्यालय प्रणाली के विभिन्न रूपों में नेतृत्व प्रदान करना
प्रारंभिक शिक्षा में सरकारी और गैर-सरकारी निजी में अध्यापन व शोध
शिक्षाशास्त्र तथा संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर तथा शोध
विभिन्न राज्य संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विभागों/तथा विश्वविद्यालय में जहाँ प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जाता हो।

आकृति 8.6

एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरण के लिए सेतु पाठ्यक्रम

उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा कार्यक्रम चला रही है जिसमें वे विद्यार्थी जिन्होंने बी.एड. पास कर रखा है, और यदि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक बनना चाहें तो 6 महीने की



अवधि का एक विशेष बी.टी.सी. कार्यक्रम करना पड़ेगा। नए प्रतिरूपों के लिए परिवर्तन एक निश्चित समय-सीमा – जैसे 5 वर्ष में पूरा करने की आवश्यकता है। इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अध्यापक-शिक्षक तैयार करने के लिए भी समय की आवश्यकता है। तथापि वर्तमान दो वर्षीय डी.एड. प्रतिरूप भी चलता रहेगा, परंतु यथासंभव संगत का अर्थपूर्ण बनाना चाहिए।

8.6 अध्यापक, एक विमर्शी व्यवसायी के रूप में

एक अध्यापक के जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब वह अपने आपको ऐसी स्थिति में पाता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। ऐसे धर्म संकट की स्थिति में उसे सर्वाधिक उत्तम मार्ग को चुनना चाहिए परंतु ऐसा निर्णय वह कैसे कर सकता है। आपभी कभी अनिर्णय की ऐसी दुविधा की स्थिति में उलझे होंगे जहाँ आपको निर्णय करना कठिन हो गया हो। उस समय आपने किस भाँति सही दिशा चुनी। कुछ समय के लिए विचार कीजिए।

अभी-अभी आप विमर्शी चिंतन में डूबे थे। हाँ इस प्रकार का चिंतन, मनन आपको इस योग्य बना देता है कि आप स्थिति का प्रभावी आकलन कर सकें और बच्चों की आवश्यकतानुसार सर्वाधिक उत्तम मार्ग को चुन सकें। इस प्रकार के विमर्शक अभ्यास से आप अपने अध्यापन के बारे में विवेचित रूप में सोचने लगेंगे और उस ज्ञान का उपयोग अपने आगे के अध्यापन अभ्यास को सुधारने के लिए करेंगे।

हम मानते हैं कि अध्यापकों को समय-समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं। वह परंपरागत आचारण के विषय में कुछ कठिन प्रश्न पूछता है। वे अधिगम और अध्यापन के बारे में अपनी आस्थाओं और मान्यताओं पर निरंतर मनन करते रहते हैं और इस प्रकार अध्यापक बनने की प्रक्रिया को चेतनता प्रदान करते हैं।

8.6.1 विमर्शी प्रक्रिया का अर्थ

विमर्श की निम्नलिखित परिभाषा से हम विमर्श के सही अर्थ को समझ सकते हैं:

- विमर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन बौद्धिक तथा भावात्मक क्रियाकलाप के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों की खोज में लगे रहते हैं ताकि उन अनुभवों को नए रूप में समझ सकें तथा महसूस कर सकें।

(बाउड तथा वाकर, 1985)

विमर्शी अभ्यास (आचरण)

- इसका संबंध जो कुछ हमने सीखा है उसमें सुधार लाने की दृष्टि से उस पर कार्यवाही करने से है।
- इसमें परिवर्तन लाने के लिए विचार और क्रिया को वस्तुगत रूप से जोड़ना होता है।



- इसमें अपने व्यवहार/कर्म के विषय में सोचना तथा विवेचनात्मक रूप से उसका विश्लेषण करना सम्मिलित है तथा इसका उद्देश्य अपने संवृत्तिक अभ्यास में सुधार लाना है।

एक विमर्शी व्यवसायी वह व्यक्ति होता है जो

- अपने व्यवहार/कार्यों का विवेचनात्मक ढंग से पुनरीक्षण करके इन कार्यों के प्रभावों पर विचार करके और उसे भविष्य में क्या और कैसे करना है, इसकी योजना बनाकर अपने अनुभवों से सीखता है
- किसी ऐसे व्यवसाय को करता है जिसके करने में गहन चिंतन, मनन की आवश्यकता पड़ती हो। हमारे व्यवसाय के संदर्भ में, एक अध्यापक जो अपने शिक्षण को सुधारने में जाँच-पड़ताल आधारित अध्ययन उपागम का प्रयोग करता हो।

8.6.2 विमर्श (चिंतन) के विषय में शिक्षाविदों का क्या कहना है?

एक विमर्शी व्यवहार की अवस्था में, व्यक्ति अपने आपको आत्मप्रेक्षण तथा स्वमूल्यांकन के चक्कर में लगाए रहते हैं ताकि वे अपने व्यवहारों और अपने ऊपर तथा अपने अध्येताओं के ऊपर इन व्यवहारों की अनुक्रियाओं को समझ सकें (ब्रुकफील्ड, 1995; थील, 1999)।

यह आवश्यक नहीं है कि विमर्शी चिंतन का लक्ष्य किस समस्या विशेष को संबंधित करना अथवा आरंभ में ही कि प्रश्न को परिभाषित हो जैसा कि पेशेवर शोध में होता है, अपितु व्यवहार का प्रेक्षण करना तथा उसे परिष्कृत करना है जो सामान्यतः चलता रहता है।

(कनिंघम, 2001)

किसी विमर्शी चिंतन या व्यवहार में लगे रहने की अवस्था में व्यक्तियों से अपेक्षा है कि वे अपने आपको बाह्य प्रेक्षक के रूप में समझें ताकि अपने व्यवहार के मूल में उपस्थिति मान्यताओं/धारणाओं तथा भावनाओं को पहचान सकें और तब अंदाजा लगा सकें कि किस भाँति ये धारणाएँ तथा भावनाएँ व्यवहार को प्रभावित करती हैं (इमेल, 1992)।

8.6.3 विमर्शी प्रक्रिया की उत्पत्ति

संभवतः जॉन डिवि प्रथम शिक्षाविद् थे जिन्होंने सुझाव दिया कि अध्यापक अपने व्यवसाय को विमर्शी चिंतन की सहायता से सुधार समते हैं (डिवि, 1993, पृ. 118)। डिवि (1993) के अनुसार किसी विश्वास, आस्था या तथाकथित ज्ञान के रूप में उस पृष्ठभूमि में जो इसे समर्थित करती है और उन निष्कर्षों के आधार पर जो इससे निकलते प्रतीत होते हैं, के प्रकाश में किया गया सक्रिय लगातार तथा ध्यानपूर्वक किया गया चिंतन विमर्शी चिंतन कहलाता है।

विमर्शी क्रिया की किसी भी घटना में व्यक्ति अपने आपको एक निश्चित वर्तमान स्थिति में पाता है जहाँ से उसे उस निष्कर्ष या निर्णय पर आना होता है जो दिया नहीं गया है। इस



प्रकार किसी निश्चित स्थिति के आधार पर किसी ऐसे विचार पर पहुँचना जो दिया नहीं गया है, अनुमान कहलाता है। डिवि ने विमर्श को अध्यापन के लिए एक समग्र उपागम के रूप में तथा अध्यापकों के लिए कक्षा में आने वाली समस्याओं को हल करने के एक तरीके के रूप में समझा डिवि ने विमर्शी प्रक्रिया के तीन मुख्य घटकों का समर्थन किया: खुली मानसिकता, उत्तरदायित्व तथा एकनिष्ठता।

- **खुली मानसिकता** का संबंध अध्यापक की उस योग्यता से है जिससे वह अपने अध्यापन के प्रत्येक पक्ष को विवेचित ढंग से देखता है, पूर्ण सूचना प्राप्त करता है तथा नए विचारों को स्वीकार करने तथा सम्मिलित करने के लिए तत्पर है।
- **उत्तरदायित्व**: उत्तरदायित्व का अर्थ है उन प्रभावों को समझना जो किसी के अध्यापन के फलस्वरूप बच्चों पर पड़ते हैं और यह समझना कि किसी पाठ के पढ़ाने से अपेक्षित अधिगम निष्पत्तियों के अतिरिक्त और क्या-क्या प्राप्त किया जा सकता है?
- **एकनिष्ठता**: से अभिप्राय है किसी कार्य को करने में उत्साह का प्रदर्शन करना। अच्छे अध्यापन के लिए जिज्ञासा तथा उत्साह अनिवार्य विशेषताएँ होती हैं। यदि हम अपने काम को पूरे प्रयास व जोश के साथ नहीं करते हैं तो उसके परिणाम वैसे नहीं आएँगे जैसी हमारी क्षमता है और हम अपनी क्षमतानुसार सर्वोत्तम नहीं कर पाएँगे।

8.6.4 विमर्श (चिंतन) : भावनाओं के साथ अनुभूति

बाउड (Bout), क्योहग (Keog) तथा वॉकर (Walker) (1985) के अनुसार विमर्श एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को पुनः प्राप्त करते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, मनन करते हैं तथा इनका मूल्यांकन करते हैं।

चिंतन प्रक्रिया के साथ भावनाओं को जोड़ते हुए इन्होंने विमर्श के तीन पक्ष उजागर किए जो नीचे दिए जा रहे हैं:

- **अनुभव की ओर प्रत्यागमन (वापसी)**: मुख्य घटनाओं को याद करना उनका विवरण प्रस्तुत करना
- **भावनाओं के साथ जोड़ना**: सहायक भावनाओं का प्रयोग करना तथा बाधक भावनाओं को दूर करना
- **अनुभव का मूल्यांकन**: अपने अभिप्रेत, उद्देश्य और वर्तमान ज्ञान के प्रकाश में अपने अनुभव की पुनः जाँच करना और नए ज्ञान को अपने संप्रत्ययात्मक फ्रेमवर्क के साथ समेकित करना।

8.6.5 विमर्शी (चिंतनात्मक) प्रक्रिया की आधुनिक अवधारणा

डोनाल्ड शोयन (1983) ने क्रिया में ज्ञान (नालेज इन एक्शन) नामक मुहाबरे का प्रयोग किया जिसका संबंध उस ज्ञान से है जो उस समय प्रकट होता है जब हम किस कार्य के



करने में लगे हैं अथवा किसी समस्या को हल करना चाहते हैं। यह क्रिया में ज्ञान है। यह हमारे निष्पादन में तो प्रतीत हो रहा है परंतु हम इसे शाब्दिक रूप में स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार का अनुक्त, मौन, उपलक्षित ज्ञान शोध से आता है और हमारे विमर्श तथा अनुभव से भी। प्रत्येक विमर्शी अध्यापन के साथ हमारा व्यावसायिक (संवृत्तिक) ज्ञान बढ़ता है जिससे (अध्यापकों) को इस ज्ञान पर आधारित निरंतर रूप से आगे की कार्यवाही करते हैं। डोनाल्ड शोयन ने सुझाव दिया कि किसी कार्य पर चिंतन, मनन करने की क्षमता, जिसके कारण निरंतर अधिगम प्रक्रिया में लगे रह सकते हैं, व्यावसायिक प्रक्रिया की निश्चित विशेषता है।

शोयन के अनुसार विमर्शी प्रक्रिया में तीन मुख्य पक्ष सम्मिलित होते हैं:

- कार्य करते समय विमर्श करना (**Reflection-in Action**)
- कार्य के बारे में विमर्श करना (**Reflection-on Action**)
- कार्य के लिए विमर्श (चिंतन) करना (**Reflection-for Action**)

इन तीनों प्रकार के विमर्शों पर टिप्पणी नीचे दी जा रही है:

- **कार्य करते समय विमर्श करना (Reflection-in Action)** : इसका अर्थ है वह विमर्श जो कार्य के घटित होते हुए होता है। अर्थात् जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं उस समय उस कार्य के विषय में चिंतन की योग्यता को कार्य करते समय विमर्श करना (**Reflection-in Action**) कहते हैं। वह इसे मुख्य कौशल मानता है। पूर्व अनुभवों के विषय में चिंतन करने तथा उन्हें वर्तमान स्थिति के अनुप्रयोग करने की योग्यता अधिगम आवश्यकताओं के बारे में अध्यापक के ज्ञान के बारे में वृद्धि करती है। इसका अभिप्राय: है कि आपके पास अध्यापन करते हुए मनन करने की योग्यता है।
- **कार्य के बारे में विमर्श करना (Reflection-on Action)** : इसका अर्थ है कि किसी अनुभव (कार्य) के आरंभ होने से पूर्व और उसकी समाप्ति के पश्चात् उस पर चिंतन करना। अर्थात् आप अपनी क्रियाओं की सफलताओं तथा असफलताओं पर विश्लेषण कर रहे हैं।
- **कार्य के लिए विमर्श (चिंतन) करना (Reflection-for Action)** : यह उस समय होता है जब चिंतन के आधार पर प्राप्त ज्ञान भविष्य में की जाने वाली क्रिया को प्रभावित करता हो। इस संदर्भ में सुझाव है कि आप अपने अध्यापन के विषय में प्रोएक्टिव हैं।



क्रियाकलाप-6

नीचे स्तंभ 'A' विमर्श के मुख्य पक्षों को दर्शाता है तथा स्तंभ 'B' उनके विवरण/उदाहरण दर्शाता है। स्तंभ 'A' के प्रत्येक पक्ष के लिए स्तंभ 'B' में से उपयुक्त उदाहरण/विवरण का मेल करें:

	स्तंभ 'A'		स्तंभ 'A'
1	कार्य करते समय विमर्श करना (Reflection-in Action)	(a)	सर्वोत्तम प्रथा और शोध पर आधारित पाठों का परिरूप बनाना
2	कार्य के बारे में विमर्श करना (Reflection-on Action)	(b)	परीक्षा में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करना
3	कार्य के लिए विमर्श (चिंतन) करना (Reflection-for Action)	(c)	प्रश्नों के द्वारा तथा पाठ की समायोजी गति के अनुसार विद्यार्थियों की समझ की जाँच करना
4		(d)	अगली कक्षा या भविष्य के संदर्भ के लिए किसी पाठ में परिवर्तन लाना

8.6.6 विमर्शी अध्यापन के लिए ट्साइखनेर तथा लिस्टन का प्रतिरूप

ट्साइखनेर तथा लिस्टन द्वारा प्रतिपादित विमर्शी अध्यापन के प्रतिरूप के अनुसार एक विमर्शी व्यवसायी के रूप में अध्यापक के पाँच मुख्य लक्षण होते हैं। ये हैं:

- 1) कक्षा पद्धति से संबंधित दुविधाओं की जाँच परख करता है, उन्हें रूपांतरित करता है, तथा हल करने का प्रयास करता है।
- 2) अध्यापन में उसके द्वारा उठाए गए प्रश्न, पूर्वधारणाओं तथा उत्पादित मूल्यों के प्रति वह अवगत है।
- 3) उस संस्थागत तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति जिसमें वह पढ़ाता है, शिष्ट या भद्र है।
- 4) पाठ्यचर्या विकास में तथा विद्यालय में परिवर्तन लाने के प्रयासों में भाग लेता है।
- 5) अपने सांवृत्तिक (व्यावसायिक) विकास का दायित्व स्वीकार करता है।

ट्साइखनेर तथा लिस्टन (1996) विमर्शी अध्यापन परंपराओं के मुख्य लक्षणों पर बल दिया तथा उनकी जाँच की। विमर्शी पद्धति (प्रक्रिया) की ऐसी पाँच परंपराओं की पहचान की जिन्होंने अध्यापन तथा अध्यापक शिक्षा में सुधार प्रयासों को निर्देशित किया है। ये हैं: शैक्षिक सामाजिक कुशलता, विकासवादी, सामाजिक पुनर्रचनावादी, तथा सामान्य या व्यापक। इन विचारकों के अनुसार सामान्य उपागम को छोड़कर इनमें प्रत्येक परंपरा में अध्यापक के चिंतन की एक विशेष विषयवस्तु पर बल दिया गया है। इन पाँचों परंपराओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।



- शैक्षिक परंपरा का फोकस पाठ्यवस्तु तथा इसे कैसे पढ़ाया जाता है, के चिंतन पर है। इसके अंतर्गत, विद्यार्थियों के बोध को प्रोत्साहित करने के लिए विषयवस्तु का निरूपण तथा रूपांतरण आता है।
- सामाजिक कुशलता परंपरा का संबंध अध्यापन की ऐसी प्रविधि के उपयोग करने पर है जिसका मूलाधार वैज्ञानिक शोध हो और उन मानकों पर हो जिनके द्वारा अध्यापक अपने कार्य पर चिंतन मनन करते हैं।
- विकासवादी परंपरा का बल ऐसे उपागम पर चिंतन करना है जो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, उनकी रुचियों, उनके चिंतन, विकासात्मक तथा शैक्षिक स्तर पर आधारित हो।
- सामाजिक पुनर्रचनावादी परंपरा का बल विद्यालय के सामाजिक तथा राजनीतिक संदर्भ पर है जिसमें कक्षा की उन क्रियाओं और व्यवहारों पर चिंतन करने पर बल दिया जाता है जो समाज और विद्यालय में समानता, सामाजिक न्याय तथा अधिक मानवीय अवस्थितियों को बढ़ावा देती है। अध्यापकों को अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक, तथा संस्थागत प्रभावों से अवगत होना चाहिए, जो उन के कार्यों तथा उनके विद्यार्थियों के जीवन में विद्यमान हैं।
- सामान्य (व्यापक) परंपरा जो सामान्य विमर्शी अध्यापक अपने कार्य करने के दौरान करते हैं बिना इस बात पर विचार किए कि उस चिंतन की विषयवस्तु तथा उसकी गुणवत्ता क्या है, वह सामान्य परंपरा का निरूपण कहलाता है।

फोकस इस आस्था पर विश्वास पर है कि अध्यापकों को अपने कार्यों में उद्देश्यपूर्ण तर्कणा का प्रयोग करना चाहिए। एक अच्छे अध्यापन में उन सभी तत्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिनपर उपर्युक्त सभी परंपराओं में प्रकाश डाला गया है जैसे विषयवस्तु का निरूपण, विद्यार्थियों का चिंतन और बोध-शोध आधारित व्यूहरचनाएँ तथा अध्यापन का सामाजिक संदर्भ।

ट्साइखनेर तथा लिस्टन ने निम्नलिखित को भी महत्व दिया:

- यदि अध्यापकों ने उन लक्ष्यों, मूल्यों तथा मान्यताओं के विषय में कोई आपत्ति नहीं उठाई जिनके आधार पर उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और उस संदर्भ की जाँच नहीं की जिसमें उन्होंने पढ़ाया तो हम कह सकते हैं कि वे विमर्शी चिंतन में लगे ही नहीं।
- विमर्शी अध्यापन में साध्य, साधन और अध्यापन के संदर्भ के विषय में विवेचनात्मक प्रश्नों का होना या पूछा जाना अनिवार्य होता है।
- अच्छे विमर्शी अध्यापन से यह अपेक्षा है कि वह इस रूप में लोकतांत्रिक हो कि अध्यापक सभी बच्चों को एक जैसे उच्च शैक्षिक स्तरों तक पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त ऐसा अध्यापन आत्म-विवेचित हो।



8.6.7 चिंतन की विधियाँ

आप किसी घटना विशेष को रिकार्ड करना चाहेंगे क्योंकि आप यह सोचते हैं कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण या विवेचित है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि उस अवस्थिति, आपकी भूमिका, आपकी कार्यवाही का परिणाम और उस घटना या स्थिति पर अपने चिंतन का ब्यौरा लिखें। इसे निम्नलिखित रूप में रिकार्ड किया जा सकता है:

- **एक आख्यान (वृत्तांत):** यह उत्तम पुरुष में लिखी किसी अनुभव या घटना की कथा है जिससे वैयक्तिक तथा व्यावसायिक विकास के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है।
- **एक विमर्शी दैनिकी (रोजनामचा):** यह किसी घटना या अनुभव के प्रति अनुक्रिया है जिसे विभिन्न रूपों में देखा गया है और जिसमें उस अनुभव को अन्य अनुभवों और उस स्थिति के अधिगम के साथ जोड़ा जाता है। इसमें इस बात का भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपको क्या सीखने की आवश्यकता है और आप अपने पहचाने गए अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं।



क्रियाकलाप-7

निम्नलिखित विषय पर 15 से 20 वाक्यों का एक लेख लिखें:

“यदि आप एक विमर्शी व्यवसायी होते”

.....

.....

.....

8.7 सारांश

जैसा कि आप जानते हैं कि इकाई 8 का शीर्षक है: “प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना”। सर्वप्रथम इस इकाई में हमने उन विषयों व समस्याओं को समझने का प्रयास किया है जो आज की प्रारंभिक शिक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं। स्पष्ट है कि हमें ऐसे अध्यापक चाहिए जो इन समस्याओं अथवा चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना कर सकें।

वास्तव में इन समस्याओं और चिंताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण हुआ। इसे एन.सी.एफ. 2005 के नाम से जाना जाता है। इस फ्रेमवर्क में उन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों और समस्याओं को परस्पर सहसंबंधित किया गया है। इस इकाई में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, 2005 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हमने “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क” (एन.सी.एफ.टी.ई.) 2009 पर भी चर्चा की है।



अध्यापक शिक्षा में उभरती हुई नवाचारी प्रवृत्तियों तथा अध्यापक शिक्षा के नए प्रतिरूपों के प्रकाश में हमने विमर्शी अधिगम तथा अध्यापक की मूल भावना पर विचार किया है और यह दर्शाने का प्रयास किया है कि हम एक अध्यापक को विमर्शी अध्यापक बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। क्योंकि आज हम ज्ञान या अधिगम को संचारित की जा सकने वाली वस्तु नहीं समझते हैं बच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वह तो ज्ञान का सृजन करता है।

इस इकाई में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि अध्यापक किस भाँति विद्यार्थी को ज्ञान का प्राप्तकर्ता न बनाकर उसे ज्ञान का रचियता कैसे बना सकता है।

8.8 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

- Approach paper for elementary teacher education curriculum renewal (2003) NCTE, New-Delhi, India
- Boud, D. Keogh, R. Walker, D. (1985) *Reflection: Turning experience into learning*. London: Kogan Page.
- Curriculum Framework for Quality Teacher Education (1998) NCTE,
- Dewey, J. (1933) *How We Think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process* (Revised edn.), Boston: D. C. Heath.
- Kenneth M. Zeichner and Daniel P. Liston in *Reflective Teaching: an Introduction*.
- Kothari, D. S. (Chairman) (1966) *Report of the Education Commission 1964-66*. Govt. of India, New Delhi.
- MHRD (1986) *National Policy on Education 1986*. Govt. of India, New Delhi.
- MHRD (1992) *National Policy on Education 1986: Programme of Action*. Govt. of India, New Delhi
- National Curriculum Framework for Teacher Education (2009) NCTE, New-Delhi, India
- Schon, DA. (1983) *The reflective practitioner*. Temple Smith: London
- http://indg.in/primary-education/teacherscorner/national_curriculu-for-teacher-education.pdf retrieved on 10.8.2011
- http://www.indg.in/primaryeducation/policiesandschemes/rte_ssa_final_report.pdf retrieved on 8.8.2011
- <http://www.ncte-india.org/pub/curr/curr.htm#26> retrieved on 12.8.2011
- http://www.ucdoer.ie/index.php/Defining_Reflective_Practice
- <http://www.resources.scalingtheheights.com/Schon%20and%20Reflective%20Practice.htm>
- <http://www.infed.org/biblio/b-reflect.htm>



8.9 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. एन.सी.एफ.-2005 और एन.सी.एफ.टी.ई.-2009 के सन्दर्भ में एक प्रारंभिक अध्यापक के रूप में अपनी भूमिका में किन परिवर्तनों की कल्पना करते हैं?
2. विमर्शी अध्यापन से क्या आभिप्राय है? इसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन करें।
3. "बच्चा ज्ञान को प्राप्त करने वाला न होकर, इसका सृजनकृता है" उदाहरण सहित व्याख्या करें।
4. प्रारंभिक शिक्षा की कुछ वर्तमान चुनौतियों की विवेचना करें।



इकाई 9 सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा

संरचना

- 9.0 प्रस्तावना
- 9.1 अधिगम उद्देश्य
- 9.2 अभिगम्यता तथा अवधारण संबंधी मुद्दे
 - 9.2.1 अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा
 - 9.2.2 अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा
 - 9.2.3 विशेष आवश्यक वाले बच्चों की शिक्षा
 - 9.2.4 भौगोलिक दृष्टि से सुदूर बच्चों की शिक्षा
 - 9.2.5 शहरी सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा
 - 9.2.6 श्रमजीवी बच्चों की शिक्षा
 - 9.2.7 अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा
- 9.3 शैक्षिक सहायता प्रणाली
- 9.4 समावेशी शिक्षा
 - 9.4.1 अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य
 - 9.4.2 समावेशी शिक्षा के लाभ
 - 9.4.3 एक समावेशी विद्यालय की कक्षा
- 9.5 विद्यालयों में बाल अधिकारों को सुरक्षित रखना
- 9.6 सारांश
- 9.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 9.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

9.0 प्रस्तावना

औचित्य अथवा निष्पक्षता शिक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत में विद्यालय में आने वाले बच्चों की पारिवारिक या घरेलू पृष्ठभूमि में अत्यधिक विभिन्नता है। जहाँ एक ओर एक ही कक्षा में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके घर पर इंटरनेट कनेक्शन हो, तो दूसरी ओर ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके घर प्रतिदिन पढ़ने के लिए समाचारपत्र भी नहीं आता। जहाँ एक ओर ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता सुशिक्षित हैं तथा अपने बच्चों की पढ़ाई में सहायता कर सकते



हैं तो दूसरी ओर उसी कक्षा में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके माता-पिता बिल्कुल निरक्षर हैं और जो विद्यालयी शिक्षा के लाभों से अपरिचित हैं। परंपरागत रूप से कुछ समुदाय ऐसे हैं जो शिक्षा से लाभ उठाते आए हैं जबकि कुछ अन्य समुदाय शिक्षा से बिल्कुल दूर रहे हैं। इस विशाल अंतराल को पाटना एक चुनौती है। इस इकाई में यह प्रयास किया गया है कि विद्यालय में या कक्षा में एक सकारात्मक विभेदन को किस भाँति आचरण में लाया जाए ताकि प्रथम पीढ़ी के अध्येता विद्यालयी शिक्षा का पूर्ण लाभ उठा सकें।

9.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएँगे कि :

- विद्यालय जाने वाले विभिन्न बच्चों में पाई जाने वाली विषमता या विजातीयता को सोदाहरण स्पष्ट कर सकेंगे;
- समाज के सुविधा वंचित वर्गों की शैक्षिक समस्याओं की विशिष्टता बता सकेंगे;
- प्रथम पीढ़ी के अध्येताओं को पढ़ाने के लिए अपेक्षित कौशलों का विकास कर सकेंगे;
- उन विधियों का परीक्षण कर सकेंगे जिनसे विद्यालयी विद्यार्थियों में शिक्षा की अभिगम्यता तथा अवधारण बढ़ सकें; और
- शैक्षिक अवसरों में निष्पक्षता/औचित्य प्राप्त करने में सहायक कार्यनीतियों को स्पष्ट कर सकेंगे।

9.2 अभिगम्यता तथा अवधारण संबंधी मुद्दे

भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बहुत सारे प्रयास हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बालक के आसपास कोई न कोई प्राथमिक विद्यालय हो देश भर में बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कई गाँवों में तो एकल अध्यापक विद्यालय खोले गए ताकि बच्चों को गाँव में ही विद्यालय मिल सके।

बहुत सारी योजनाएँ जैसे, मुफ्त शैक्षिक सामग्री, मध्याह्न भोजन, विद्यालय यूनिफार्म वितरण, जनजातीय क्षेत्र से संबंधित लड़कियों को सहायता आदि लागू की गई। बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी.ई.पी.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा उन जिलों में लागू किया गया जहाँ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे थी। इस कार्यक्रम में अभिगम्यता सुनिश्चित करने तथा अवधारण को बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास किए गए। ये प्रयास और अधिक व्यापक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जारी रहे। इन दोनों कार्यक्रमों के विद्यार्थियों के पंजीयन और उनके द्वारा विद्यालय में शिक्षा जारी रखने के रूप में कुछ लाभ



मिले। तथापि 100 प्रतिशत पंजीयन तथा अवधारण अब भी एक स्वप्न मात्र है। इसे पूरा करना एक चुनौती है और इसमें देश के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

9.2.1 अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा

भारत में बहुत लम्बे समय तक (और अब भी) जाति प्रथा चलते रहने के कारण समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों को अछूत कहा जाने लगा। क्योंकि ये समूह नौकरों जैसा (दासोचित) कार्य किया करते थे अतः ये शिक्षा से दूर ही रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अस्पृश्यता या छूआछूत को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तथापि, लम्बे समय तक उपेक्षित रहे इन सामाजिक समूहों को क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त लाभ देने के उद्देश्य से जातियों की एक सूची बनाई गई। फलस्वरूप इन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में रखा गया। अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार भी दिए गए। इतना ही नहीं कि वे निःशुल्क विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन के लिए कुछ स्थान सुरक्षित भी रखे जाते हैं। इन उपायों के फलस्वरूप विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। इनमें से बहुत से अपनी उच्च शिक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कर जाते हैं। पिछले 60 वर्षों में इन समुदायों के सदस्यों की साक्षरता दर निरंतर बढ़ती जा रही है। परंतु फिर भी इस समस्या पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे पूर्ण रूप से हल करने के लिए क्रियाविधि योजना तैयार की जानी चाहिए।

कई स्थानों पर देखने में आया है कि विद्यालय में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए कक्षा में बैठने का अलग स्थान निर्धारित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च जाति के विद्यार्थियों की तुलना में अनुसूचित जातियों के बच्चों के साथ अधिक सख्ती का व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि अनुसूचित जाति के बच्चे विद्यालय में लेट आँ तो उन्हें झिड़क देना, कक्षा में ऐसे बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं देना या उन्हें समय नहीं देना, उनके प्रश्नों की अवहेलना कर देना, और यहाँ तक कि यदि वे प्रश्न पूछ लें तो उन्हें झिड़क देना आदि व्यवहार समय-समय पर सामने आया है। इसके अतिरिक्त कई बार इन विद्यार्थियों से तुच्छ कार्य कराए जाते हैं जैसे विद्यालय में झाड़ू लगाना, शौचालयों की सफाई कराना इत्यादि। इस प्रकार के व्यवहार के कारण अनुसूचित जाति के ये बच्चे अपने आस पड़ौस में अन्य अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ ही खेलने चले जाते हैं जो विद्यालय नहीं आते। इसका कारण है कि उच्च जातियों के बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं खेलने देते।

उपर्युक्त परिदृश्य के संदर्भ में यह अनिवार्य हो जाता है कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए अधिगम-अध्यापन कार्य योजना इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए जिसमें इन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मुख रखा जाए। इस संदर्भ में कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं ताकि ये बच्चे भी विद्यालयों के समस्त क्रियाकलाप में सम्मिलित हो सकें:



- 1) विद्यालय में अध्यापकगण, अन्य विद्यालय कार्मिकों, तथा विद्यार्थियों के लिए व्यवहार मानदंड स्थापित किए गए।
- 2) विद्यालय में यदि स्टाफ द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा, या अन्य कर्मियों द्वारा किसी संदर्भ में कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा हो तो उसके समय पर जाँच करना और उसे मालूम करना। तथापि यह कार्य आसान नहीं है क्योंकि कुछ व्यवहार जो हैं तो पक्षपातपूर्ण, परंतु वे स्वीकार्य व्यवहार के अंग बन चुके होते हैं। सामान्यतः उनकी उपेक्षा हो जाती है।
- 3) बच्चों की आवाजों को ध्यान से सुनना इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है।
- 4) विद्यालय में होने वाले ऐसे पक्षपातपूर्ण आचरणों के लिए रिपोर्ट करने संबंधी एक व्यवस्था बनाई जाए। विद्यालय में लगाई गई शिकायत पेटिकाओं को प्रतिदिन देखा जाए और यदि इस प्रकार का अनुचित उदाहरण सामने आता है तो उस पर समय पर उचित कार्यवाही की जाए।
- 5) कक्षा में होने वाली अन्योन्यक्रियाओं के लिए उचित मानदंड स्थापित किए जाएँ जैसे कक्षा में बैठने संबंधी प्रतिरूप यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को जाति या लिंग के आधार पर या समुदाय के आधार पर अन्य बच्चों से अलग नहीं बैठाया जाता है। "नाली-काली" नामक बहुस्तरीय अधिगम प्रतिरूप को अपनाया जा सकता है जिसे 1990 के दशक में कर्नाटक राज्य में आरंभ किया गया था तथा जिसमें बच्चों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर समूहों में बैठाया जाता है न कि जाति या लिंग के आधार पर। इस प्रतिरूप से न केवल जाति संबंधी या सामाजिक बाधाएँ टूटेगी अपितु एक चक्रानुक्रम स्थापित होगा जिसमें बच्चे अपने-अपने अधिगम स्तर के अनुसार एक दूसरे से मिलेंगे और उन अधिगम वृत्तों से बाहर या अंदर आ जा सकेंगे।
- 6) ऐसे पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप जो सामाजिक अवरोध या बाधाओं को तोड़ने में सहायक होते हैं, जैसे खेलकूद, संगीत, ड्रामा, इत्यादि, प्रोत्साहित किए जाने चाहिए। यह क्षेत्र आमतौर पर उपेक्षित रहा है और यदि इसका ठीक से उपयोग किया जाए तो इससे विभिन्न सामाजिक स्तरों के बच्चों में अन्योन्यक्रिया बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा।
- 7) समावेशन सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। परंतु अब तक इस प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका की अवहेलना होती रही है। अतः सेवा-पूर्व प्रशिक्षण से आरंभ करते हुए आगे तक अध्यापकों की सुग्राहिता/संवेदनशीलता को बढ़ाने के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। इसके लिए विशेष सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाते समय आने वाली विशिष्ट समस्याओं से निपटा जा सके।
- 8) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई. एक्ट, 2009) में शारीरिक दंड तथा दुर्व्यवहार को दूर करने संबंधित सुझाए गए मानदंडों का सख्ती से पालन किया



जाना चाहिए। अध्यापकों तथा अन्य विद्यालयी स्टाफ के व्यवहार को मॉनीटर करना विद्यालय प्रबंधन समिति का आदेश है। खंड संसाधन केन्द्र (BRC) तथा संकुल संसाधन केन्द्र (CRC) ऐसे शिक्षण संबंधी उपकरण तथा कक्षोचित आचरण विकसित करने में सहायक हो सकते हैं जिनसे सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में सहायता मिल सकती है।

- 9) ऐसे जिलों में जहाँ अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या अधिक हो, पर्याप्त मात्रा में आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करना अनुसूचित जाति के बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है।
- 10) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सम्मुख आने वाली अधिगम संबंधी बाधाओं को समझने के लिए क्रमबद्ध शोध की आवश्यकता है। ऐसा देखा गया है कि अधिगम कठिनाइयों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का पता लगाना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के अधिगम में ही सहायक नहीं है, अपितु उनकी उपलब्धि को भी बढ़ाता है (कुलकर्णी तथा अगरकर, 1985)।

प्रायः यह देखा गया है कि अपवर्जन (exclusion) की समस्याएँ अत्यधिक स्थानिक तथा संदर्भ सापेक्ष रूप से उभर कर आती हैं।



क्रियाकलाप-1

भारत में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों संबंधी सूचना मालूम करें। तदोपरान्त निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें:

- 1) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की 1950 में साक्षरता दर कितनी थी?
.....
.....
- 2) अब यह दर कितनी हो गई है?
.....
.....
.....
- 3) क्या इस समुदाय की साक्षरता दर की प्रगति सामान्य साक्षरता दर से मेल खाती है?
.....
.....
.....



4) क्या अनुसूचित जाति के पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में कोई अन्तर है?

.....

.....

.....

9.2.2 अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा

जनजातीय लोगों के कल्याण की चिंता संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रतिबिंबित हुई है जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि इन लोगों के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व राज्य का है। जिस प्रकार जातियों की अनुसूची बनाई गई उसी प्रकार जनजातियों की भी अनुसूची बनाई गई। अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी विद्यालयी तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति में विशेष प्रेरक/प्रोत्साहन दिए गए। कुछ राज्यों को छोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लोग सभी राज्यों में फैले हुए हैं। ये अनुसूचित जनजातियाँ एकरूप या समांगी नहीं हैं अपितु सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं। परंतु सामान्यतः अनुसूचित जनजाति समुदाय की अधिकांश जनसंख्या शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के प्रयास हो रहे हैं। डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों को आकर्षित करने और उन्हें नजदीक के विद्यालय में भरती कराने तथा उनकी पढ़ाई को विद्यालय की पढ़ाई खत्म होने तक जारी रखने के विशेष प्रयास किए गए। ऐसी ही नीति का अनुसरण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। इन सबके बावजूद इन प्रयासों में मिली सफलता संतोषजनक नहीं रही है। अतः इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले जनजातीय लोगों की जीवन शैलियाँ संबंधित समस्याएँ अलग-अलग रही हैं। सामान्यतः इनकी समस्याओं का कारण इनका मुख्यधारा से अलगाव है। वे प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं जो दूरवर्ती हैं तथा अभिगम्य नहीं हैं। उनका आर्थिक स्तर इतना नीचा होता है कि उन्हें विवश होकर अपने बच्चों को भी काम के लिए भेजना पड़ता है ताकि परिवार की आय में कुछ बढ़ोतरी हो सके। दैनिक वार्तालाप में वे अपनी स्थानीय बोली का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि जनजातीय विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो पाता है। उनके रहने के स्थान इतने दुर्गम हैं कि वहाँ विद्यालय स्थापित करना काफी कठिन कार्य है। इन समुदायों की खानाबदोश प्रवृत्ति जीवनयापन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने को विवश करती है। अतः बच्चों को शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे किसी विद्यालय में वर्ष भर नहीं पढ़ सकते, अतः जनजातीय बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए तथा उन्हें वहाँ विद्यालय में बने रहने के लिए विशेष तरीकों की आवश्यकता है। इनमें से कुछ विशेष तरीके निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

- उनकी पाठ्यपुस्तकें प्राथमिक शिक्षा के पहले वर्षों में उनकी मातृभाषा में हों जहाँ वे क्षेत्रीय भाषा को नहीं समझते।



- अध्यापकों के प्रयोग के लिए सेतु भाषा सूची।
- जनजातीय क्षेत्रों के प्रत्येक विद्यालय में ऑगनवाड़ी तथा बालवाड़ी या क्रैचिस की स्थापना ताकि उनकी लड़कियों को छोटे बच्चों को रखने की आवश्यकता ही न पड़े।
- गैर-जनजातीय अध्यापकों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में काम करने में सक्षम होने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए जिसमें जनजातीय बोली का ज्ञान भी सम्मिलित हो।
- सभी आवासों के एक किलोमीटर के अंदर विद्यालय या वैकल्पिक सुविधा देना जैसे शिक्षा गारंटी योजना (EGS)।
- जहाँ शिक्षा गारंटी योजना की सुविधा हो उसे नियमित विद्यालय में परिवर्तित करना।
- वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा घटक के अंतर्गत विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए विशेष मुख्यधारा कैंप।
- महिला समख्या जैसे नवाचारी फंड से अध्यापन।
- लड़कियों तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान/कार्य। इसके लिए संदर्भ विशिष्ट नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जैसे पंजीयन तथा अवधारण आंदोलन/प्रचार, सेतु पाठ्यक्रम के लिए विशेष कैंप, वैकल्पिक विद्यालय का विशेष मॉडल स्थापित करना, उपचारात्मक कक्षाएँ, एक सुविधाजनक अधिगम वातावरण का निर्माण।
- समुदाय के नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि उनमें विद्यालय संचालन की क्षमता का विकास हो सके। प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण के लिए ब्लॉक संसाधन तथा क्लस्टर संसाधन केन्द्रों की स्थापना।
- आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, मुफ्त होस्टल सुविधाएँ जिनमें भोजन, प्रसाधन वस्तुएँ, नोटबुक, वर्दी आदि सम्मिलित हो।

आश्रम विद्यालयों के लिए गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम

महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग के अनुरोध पर आश्रम स्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। आश्रम विद्यालय, जहाँ यह परियोजना आरंभ की गई, प्राचीन भारतीय गुरुकुल पद्धति पर आधारित विद्यालय हैं जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के उपेक्षित जनजातीय वर्ग को शिक्षित करना था। इस कार्यक्रम का संचालन 1993-1997 के मध्य होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र ने तीन जिलों में किया जो श्यादरी पर्वत शृंखला (महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग) में स्थित हैं। इस कार्यक्रम का फोकस तीन चीजों पर था: 1) क्षमता विकास, 2) अध्यापक प्रशिक्षण, 3) बालकों के मध्य अन्योन्यक्रिया।

- 1) **क्षमता विकास:** विद्यालयी क्षमता विकास के संदर्भ में विज्ञानशालाओं तथा पुस्तकालयों के विकास पर ध्यान दिया गया। पुस्तकालय में संगत पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं



तथा उनका प्रभावी प्रयोग करने के लिए एक तंत्र की रचना की गई। इसी प्रकार प्रयोगशालाओं को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर मजबूत बनाया गया। इसके अतिरिक्त, गणित प्रयोगशाला विकसित करने का प्रयास भी किया गया।

- 2) **अध्यापक प्रशिक्षण:** तीन वर्ष की अवधि में विज्ञान और गणित के अध्यापकों के लिए तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए। इन पाठ्यक्रमों के संचालन के दौरान अध्यापकों को जनजातीय विद्यार्थियों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया गया और दिशा-निर्देश दिए गए जिससे वे उन समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से निर्मित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई जिसका उपयोग अध्यापक अपने संदर्भ के लिए कर सकते थे।
- 3) **बालकों के मध्य अन्योन्यक्रिया:** आश्रम विद्यालयों में विद्यार्थी, कक्षाएँ समाप्त होने के पश्चात् भी रहते थे। इस समय का सदोपयोग करने के लिए बच्चों की पारस्परिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के सलाह दी जाती थी; जैसे – समाचारपत्र से कोई अच्छा लेख छॉटना तथा उसे डिस्पले बोर्ड (प्रदर्शन पट्ट) पर टॉगना या निकट पाए जाने वाले पौधे लाकर विद्यालय में एक वनस्पति विज्ञान संग्रहालय स्थापित करना। इस प्रकार के क्रियाकलाप से जहाँ एक ओर बच्चों के खाली समय का ठीक और अच्छा उपयोग होता था, दूसरी ओर इससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में भी वृद्धि होती थी।

9.2.3 विशेष आवश्यक वाले बच्चों की शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है जब सभी बच्चे, जिनमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी सम्मिलित हों, प्रारंभिक शिक्षा की परिधि में शिक्षा ग्रहण करें। डी.पी.ई.पी. जैसे कार्यक्रमों के अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया है कि उपयुक्त सहायक सेवाओं के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को भी गुणवत्ता शिक्षा सामान्य विद्यालय में ही दी जा सकती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायः उनकी अशक्तता, माता-पिता तथा समुदाय की ओर से बच्चों की क्षमता के बारे में जानकारी के अभाव के कारण, हाशिए पर रख दिया जाता है। इन बच्चों के प्रति सहानुभूति की एक समाजीय सामान्य अभिवृत्ति, जिसमें इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि बच्चे क्या-क्या नहीं कर सकते, बजाए इसके कि वे क्या-क्या करने में समर्थ हैं, उनके शैक्षिक विकास में बाधा बन गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित विद्यालयों में समावेशित करने के महत्व को समझते हुए, सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क में ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विशेष आवश्यकताओं वाला प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी वर्ग का हो और उसकी अशक्तता की मात्रा कितनी भी हो, उसे अर्थपूर्ण और गुणवत्ता शिक्षा दी जाए। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत “शून्य अस्वीकार नीति” को अपनाया गया है। इसका अर्थ है किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।



पर्सन्स विद डिसएबिलिटिस (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम (1995) के साथ सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क वादा करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को एक ऐसे परिवेश में पढ़ाया जाए जो उसकी अधिगम आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इनमें विशेष विद्यालय, नवाचारी शिक्षा तथा परिवार आधारित शिक्षा भी सम्मिलित है। अतः जब भी आवास/गाँव/खंड तथा/या जिला स्तर पर शिक्षा की योजना बनाई जाए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ आवश्यकताएँ ऐसी हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट हैं – जैसे, संसाधन अवलंब (सहायता), विशेष अध्यापक प्रशिक्षण, गतिशीलता साधन (**mobility aids**), उपकरण इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष सुविधाओं का एक सेट है जिसकी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जरूरत होती है तथा जिन्हें अन्य प्रचलित क्रियाकलाप जैसे: समुदाय बोध, ग्राम शिक्षा समिति का सामर्थ्य विकास, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय परिसर की अभिगम्य तथा विकलांग अनुकूल बनाना, पूर्व बाल्यकाल देखभाल तथा शिक्षा“ एवं लड़कियों की शिक्षा, के साथ जोड़ा जा सकता है।

शिक्षा के अधिकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वास्तविकता में रूपांतरित करने हेतु उपयुक्त योजना बनानी अनिवार्य है। इसके लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी के अनुसार पहचान करनी चाहिए। यह कार्य घरेलू सर्वेक्षण के द्वारा संपादित हो सकता है। इस विषय पर आँकड़े एकत्रित करते समय मालूम करना चाहिए कि जिले में तथा विद्यालय में बच्चों की कुल जनसंख्या में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जनसंख्या या अनुपात कितना है। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस-किस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इत्यादि। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का क्रियात्मक तथा औपचारिक मूल्यांकन कराने के प्रयास भी करने चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जो विद्यालय से बाहर हैं, को नियमित विद्यालयों में भरती कराने के लिए अपेक्षित परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन भी किया जाना चाहिए। उन पहचान किए गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर भी आँकड़े एकत्रित करने चाहिए जिन्हें साधनों अथवा विशेष उपकरणों की आवश्यकता है तथा ये उपकरण आदि उपलब्ध कराए गए हैं अथवा नहीं। यदि कराए गए हैं तो किसकी सहायता से: जैसे राज्य का विभाग, गैर सरकारी संगठन/ए.डी.आई.पी./ए.एल.आई.एम.सी.ओ./आई.ई.डी.सी./या कोई और स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान निधि आदि।

इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण में पता लगाना चाहिए कि प्रशिक्षित विशेष शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए फिजियोथेरेपिस्टों के दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए, आक्युपेशनल थेरेपिस्ट के लिए, शैक्षिक उपकरणों की खरीद, आदि के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होती है अथवा होगी। समुदाय संघटन या माता-पिताओं के सुग्राहिता कार्यक्रम चलाने का फोकस सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में भरती कराने पर होना चाहिए। प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी बच्चों के अधिगम (जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों भी हो) को सुगम बनाने के लिए पाठ्यचर्या में आवश्यक परिवर्तन हो जाएँ।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन अथवा परीक्षा के लिए आवश्यक रियायतें दी



जानी चाहिए; जैसे दृष्टिक्षत बच्चों को लेखक की सुविधा डिस्लेक्सिक या स्पास्टिक बच्चों को अतिरिक्त समय की सुविधा, श्रवणबाधित/डिस्लेक्सिक बच्चों को मात्र एक भाषा पढ़ने का विकल्प आदि। जिला अधिकारिकी तथा समुदाय ने मिलकर यह योजना बनानी चाहिए जिससे वर्तमान विद्यालयों को वास्तुकला संबंधी बाधाएँ दूर हो जाए तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक अनुकूल वातावरण मिल सकें (रैंप/हैंडरेल/शौचालय परिवर्तन/कक्षा के अंदर की व्यवस्था)। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यार्थी में पंजीयन तथा अवधारण को मॉनीटर करने के लिए, अभिभावकों/गैर-सरकारी संगठनों तथा ग्राम शिक्षा समिति को सम्मिलित करना चाहिए।

9.2.4 भौगोलिक दृष्टि से सुदूर बच्चों की शिक्षा

उपेक्षित निवास समूहों में शिक्षा गारंटी योजना (EGS) और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों समेत विद्यालय से बाहर वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा (AIE), सर्व शिक्षा अभियान के ढाँचे का भाग है। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन संरचना को शिक्षा योजना में समाविष्ट किया जाना है। इन सबके लिए विविध कार्यनीतियों और लचीले वित्तीय प्राचलों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में चार स्पष्ट क्षेत्र हैं:

- छोटे उपेक्षित आवास स्थलों (habitations) के लिए पूर्णकालिक समुदाय विद्यालय
- विभिन्न समय अवधि के सेतु पाठ्यक्रमों के द्वारा बच्चों को मुख्यधारा में लाना
- विशेष समूहों के बच्चों, जैसे बाल श्रमिक, गली मोहल्लों में घूमते फिरते बच्चे, किशोरावस्था की लड़कियाँ, तथा कुछ पिछड़ी जाति की लड़कियाँ, स्थानांतरण करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए विशेष कार्यनीतियाँ बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना।
- नवाचारी कार्यक्रम: ये नवाचार शैक्षणिक पद्धतियों, पाठ्यचर्या, कार्यक्रम प्रबंधन पाठ्यपुस्तकों इत्यादि में हो सकते हैं।
- सभी ऐसे निवास स्थल जिनमें एक किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय नहीं और वहाँ पर विद्यालय जाने योग्य आयु के बच्चों की एक न्यूनतम संख्या है, ऐसे बच्चों के लिए एक शिक्षा गारंटी योजना प्रकार का विद्यालय बनाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे जो बीच में ही विद्यालय छोड़ गए हैं उनके लिए सेतु पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण का अनिवार्य अंग बन जाएँ। इसके लिए शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा को संकुल संसाधन केन्द्र/खंड संसाधन केन्द्र/डाइट (DIET)/एस.सी.ई.आर.टी. से जोड़ना होगा।
- विद्यालय से बाहर वाले बच्चों में बहुत विषमताएँ हैं। वे ऐसे छोटे-छोटे निवास स्थलों से हो सकते हैं जहाँ कोई विद्यालय नहीं है, वे श्रमजीवी बच्चे भी हो सकते हैं या



गलियों में घूमने वाले हो सकते हैं, या नगरीय स्लम क्षेत्र के सुविधा वंचित बच्चे हो सकते हैं, वे वेश्याओं के बच्चे भी हो सकते हैं या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियाँ हो सकती हैं या ऐसी लड़कियाँ हो सकती हैं जो घर के काम धंधों में व्यस्त रहती हों या छोटे बहन भाइयों की घर पर देखभाल करने वाली हो सकती हैं। इन में गाय भैंस या भेड़बकरी चराने वाले बच्चे भी हो सकते हैं। इन विषमताओं के होते हुए उनकी शिक्षा के लिए विविध प्रकार की कार्यनीतियाँ तथा उपागमों की आवश्यकता पड़ती है।

- शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत उन उपेक्षित निवास स्थलों/ प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र (शिक्षा स्तर) स्थापित करने चाहिए जहाँ एक किलोमीटर की दूरी तक कोई विद्यालय नहीं है और जहाँ 6-14 वर्ष आयु वर्ग के 15 बच्चे (पर्वतीय क्षेत्रों में 10 बच्चे) रहते हैं परंतु वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इन बच्चों को जो विभिन्न आयु वर्ग के हैं और विद्यालय से बाहर हैं, मुख्यधारा में लाने के लिए वैकल्पिक तथा नवाचारी शैक्षिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए विभिन्न समयावधि के सेतु कार्यक्रम (पाठ्यक्रम) निर्मित किए जा सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें उपर्युक्त विधियों द्वारा मुख्यधारा में लाना कठिन है – जैसे श्रमजीवी बच्चे, किशोरावस्था की लड़कियाँ, घुमंतु परिवारों के बच्चे – इनके लिए विशेष नवाचारी कार्यनीतियों का प्रयोग किया जा सकता है।

9.2.5 शहरी सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा

सुविधा वंचित बच्चों का एक समूह ऐसा भी है जो शहरी क्षेत्र में रहता है – विशेष कर स्लम क्षेत्रों में ऐसे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना अत्यंत आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण यू.ई. ई. के लिए किए गए बहुत सारे प्रयास शहरी सुविधा वंचित बच्चों तक नहीं पहुँच पाते। इस दिशा में कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने सरकारी व्यवस्था से मिलकर महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं: जैसे मुम्बई से प्रथम (एक गैर-सरकारी संगठन) संगठन ने नगर निगम के सहयोग से तथा कोलकाता में नगर स्तरीय क्रियाविधि (City Level Plan of Action)। प्रारंभिक शिक्षा की योजना बनाने की दृष्टि से कुछ बड़े शहरों के नगर निगमों को “जिला” के रूप में समझा जाता है। इन क्षेत्रों के शैक्षिक विकास संबंधी योजनाओं के परिरूप नगर निगमों द्वारा बनाया जा सकता है और राज्य सरकार इनके राव शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियन (funding) के लिए अनुशंसा कर सकती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के सभी मानदंड शहरी क्षेत्रों के ऐसे बच्चों पर भी लागू होते हैं। इनमें वार्ड, शहरी स्लम क्लस्टरों की योजना की इकाई समझा जाएगा। ऐसे शहरी स्लमों की विशेष समस्याएँ होती हैं जैसे गलियों में घूमते-फिरने वाले बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों की शिक्षा जो कबाड़ी का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा जो शहरी स्लमों में काम करते हैं या रहते हैं। उद्योगों में काम करने वाले बच्चों की शिक्षा या घर में चाय की दुकानों पर इत्यादि पर काम करने वाले बच्चों की शिक्षा। स्पष्ट है कि इन विषमताओं के होते हुए ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए



विभिन्न प्रकार के उपागमों या विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ग्रामीण या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं की भाँति शहरी सुविधा वंचित बच्चों की समस्याएँ भी अपने प्रकार की अलग है। इन क्षेत्रों की समस्याओं से जूझने के लिए अलग प्रकार की जिला योजना बनानी चाहिए। यह अपेक्षित होगा यदि हम इन योजनाओं में गैर-सरकारी संगठन का सहयोग भी प्राप्त कर लें।

बच्चों का एक अन्य ऐसा वर्ग भी है जिस विशेष प्रकार से शैक्षिक हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) की आवश्यकता पड़ती है। यह वर्ग है "शहरी गरीबों" का। अर्थात् ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की आय बहुत ही कम है। ऐसे बच्चे पारिवारिक सहारे तथा शिक्षा से वंचित रहते हैं और बहुधा प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते और कई बार तो शिक्षा की अभिगम्यता से भी ये दूर रहते हैं। इस स्थिति के अपने देश में बहुत से कारण हैं, जिन पर आप स्वयं विचार करने का प्रयास कर सकते हैं।

शहरी गरीब बच्चों की शिक्षा की समस्याएँ, जो शिक्षा की अभिगम्यता से भी वंचित रहते हैं बड़ी जटिल और विविध हैं। इसमें ऐसी समस्याएँ जैसे विद्यालय में अपर्याप्त विद्यालयी आधारभूत सुविधाएँ, वंचित शहरी निर्धन बच्चों के प्रेरकों (प्रोत्साहन) की कमी, विद्यालय की स्थिति इत्यादि, सम्मिलित हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में बहुत सारे गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं, तथापि सभी बच्चे इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें कुछ ऐसे परिवार भी जो स्थाई रूप से एक स्थान पर नहीं रहते और जगह-जगह घूमते रहते हैं। शहरी निर्धन बच्चों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- स्लमों व पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले बच्चे
- बाल श्रमिक जिनके बच्चे भी सम्मिलित हैं जो घरों में नौकरी करते हैं
- गलियों में घूमते-फिरते बच्चे
- वेश्याओं के बच्चे
- बाल अपराधी बच्चे जो सुधारालय में रहते हैं और वे जो कानून की परवाह नहीं करते।
- भिखारी बच्चे
- कबाड़ी बच्चे
- शहरी निर्धन बच्चे जो अशक्त हैं।

इनमें से बहुत से समूहों को दीर्घकालिक सहारे की और व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। इन बच्चों की शिक्षा की योजना बनाते समय ऐसी कार्यनीतियों पर फोकस करना अनिवार्य है जो लचीली हो और जिनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके। औपचारिक विद्यालयों के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान भी शिक्षा गारंटी योजना तथा अन्य वैकल्पिक तथा नवाचारी कार्यक्रमों के अंतर्गत इन "विद्यालय के बाहर" के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करता है। क्योंकि संभव है कि अकेली सरकार इस कार्य को पूर्ण न कर



पाए, अतः गैर-सरकारी संगठनों को भी इस कार्य से सम्मिलित किया जाए। इनके लिए सेतु पाठ्यक्रम, उपचारात्मक पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी कार्यक्रम, तथा "बैंक टू स्कूल कैम्पस" (विद्यालय परिसर की ओर) की सहायता से शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है।

9.2.6 श्रमजीवी बच्चों की शिक्षा

भारत में बाल श्रम को अवैध घोषित किया हुआ है, अतः जो व्यक्ति बच्चों को घरेलू या अन्य किसी भी काम के लिए नियोजित करते हैं, कानून में उन्हें सजा देने का प्रावधान है। तथापि, कुछ परिवार इतने गरीब होते हैं कि उन्हें परिवार की आय में कुछ वृद्धि करने के लिए अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश होना पड़ता है। क्योंकि ये बच्चे विद्यालय समय में अपने काम पर होते हैं। अतः वे नियमित विद्यालयों में भरती नहीं हो सकते। इसका वास्तविक समाधान तो यह होगा कि उन्हें काम से वापिस बुला लिया जाए और विद्यालयों में पंजीकृत करा दिया जाए। परंतु ऐसी स्थिति में माता-पिता की वित्तीय क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता होगी जिसका प्रबंध करना कठिन कार्य है। इसका एक विकल्प यह होगा कि इन बच्चों को रात्रि विद्यालयों में भरती करा दिया जाए।

आजकल शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे रात्रि विद्यालय विद्यमान हैं। महानगरीय क्षेत्रों में इन विद्यालयों की संख्या तथा उनमें पंजीकृत बच्चों की संख्या भी काफी उच्च हैं। इन विद्यालयों के साथ कठिनाई यह है कि इन्हें वहीं पाठ्यचर्या संचारित करनी पड़ती है जो दिन में चलने वाले नियमित विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। दूसरी बात यह है कि रात्रि विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों तथा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास उतना समय नहीं होता जितना कि नियमित विद्यालयों की स्थिति में होता है। इसके अतिरिक्त प्रायः ये वहीं अध्यापक होते हैं जो दिन के समय नियमित विद्यालयों में काम करते हैं और इस समय तक थक जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि रात्रि विद्यालयों के लिए एक भिन्न पाठ्यचर्या बनाई जाए। और क्योंकि इन विद्यार्थियों के पास कार्य का अनुभव होता है और वे आयु में भी बड़े होते हैं अतः कुछ आंशिक रूप से उन्हें प्रदत्त/सत्रीय कार्य (assignment) के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। इन प्रदत्त कार्यों को वे दिन के समय नौकरी करते समय या खाली समय में पूरा कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या इस रूप में बनाई जाए जिससे उनमें जीवन कौशलों का विकास हो सके जिससे उनके दैनिक व्यवसाय में भी सहायता मिले। यदि व्यवसाय-आधारित प्रशिक्षण दिया जाए तो उन्हें तथ्यों और सिद्धांतों को समझने में सहायता मिल सकती है ऐसे पाठ्यक्रम से जहाँ एक ओर उनके व्यवसाय के लिए अपेक्षित कौशलों का विकास होगा, दूसरी ओर उनकी कमाई में भी वृद्धि करने का मौका भी मिल सकता है।

9.2.7 अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा

प्रायः देखा गया है कि शिक्षा प्रायः उन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर निर्दिष्ट होती है जो समाज के बहुसंख्यक वर्गों से आते हैं। परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय से



आने वाले बच्चे ऐसे वातावरण में अपने आपको अलग महसूस करते हैं। इस अलगाव (अपवर्जन) के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

- पाठ्यपुस्तकों और कक्षा पाठ्यचर्या संचालन में प्रयुक्त भाषा इस अल्पसंख्यक वर्ग की मातृभाषा से भिन्न हो सकती है।
- पाठ्यपुस्तकों और कक्षा भाषण में दी गई अनुभूतियों से ये बच्चे अनभिज्ञ हो सकते हैं।
- सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतरों के कारण इन बच्चों के पूर्वकल्पित/पूर्वावधारित विचार बहुसंख्यक बच्चों के विचारों से भिन्न हो सकते हैं।
- कुछ विषय वस्तु बच्चों को असंगत लग सकती हैं।

9.3 शैक्षिक सहायता प्रणाली

विद्यालयी शिक्षा में अध्यापक सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। एक कार्यरत अध्यापक का सशक्तिकरण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है जैसे – वेतनवृद्धि द्वारा, विद्यालयों में सुविधाएँ बढ़ाकर, कक्षा कार्यसंपादन में स्वतंत्रता द्वारा अध्यापक सशक्तिकरण किया जा सकता है। यहाँ पर जो संकेत दिए जा रहे हैं, वे वास्तव में शैक्षणिक सहायता प्रणाली (अवलंब तंत्र) के ही पक्ष हैं जिनकी एक अध्यापक को उन नाना प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है।

कुछ देशों में कार्यरत अध्यापकों की सहायताार्थ “अध्यापक सहायता सेवाएँ आरंभ कर दी हैं। भारत में हमारे पास इस प्रकार का कोई सहायता तंत्र नहीं है। तथापि हमने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त तथा खंड स्तरीय संसाधन केन्द्र तथा संकल संसाधन केन्द्र स्थापित किए हैं जिनका उद्देश्य विद्यालयी अध्यापक को शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है।

प्रौद्योगिकी विकास ने हमारे जीवन में अत्यधिक रूप में प्रभावित किया है। विद्यालय क्योंकि समाज का एक भाग है, इन प्रौद्योगिकीय प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता। स्लाइड या ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे उपकरण बहुत पहले विद्यालय पद्धति में प्रवेश कर चुके हैं। वर्तमान वर्षों में एल सी डी प्रोजेक्टर ने विद्यालय प्रणाली में अपना स्थान बना लिया है। यह प्रोजेक्टर एक कम्प्यूटर के साथ जुड़कर किसी भी विषय के प्रभावी अध्यापन में अध्यापक की सहायता कर सकता है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) हमारे इस शैक्षणिक प्रयास में सहायता करने के लिए आगे आया है। अक्टूबर 2004 में इसने एक समर्पित सैटेलाइट, जिसका नाम एडुसैट (EduSat) है शुरू किया। जियोस्टेशनरी कक्ष में स्थित यह सैटेलाइट दिन में हर समय ओर वर्ष में प्रतिदिन शैक्षिक क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध होता है। इसके कारण विशेषज्ञ और अध्यापक एक-दूसरे के निकट आए हैं। साथ-साथ वीडियो सम्मेलनों के



द्वारा अध्यापक एक-दूसरे के साथ विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने लगे हैं और अन्य स्थानों या प्रांतों में कार्यरत अपने अध्यापक सहयोगियों से परामर्श कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में हुए विकास से दुनिया नजदीक आ गई है। दो विशेषज्ञ जो वर्ल्ड वाइड वैब (www) का प्रयोग कर रहे हैं उनके मध्य तेजी से संपर्क हो सकता है। एक अध्यापक जो देश के सुदूर कोने में कार्य कर रहा है, विश्व में किसी भी स्थान पर बैठे अपने साथी/सहयोगी के साथ वस्तुतः अन्योन्यक्रिया कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसके पास ओ ई आर (Open Educational Resources - OER) के माध्यम से सभी प्रकार की सूचना उसकी ऊंगलियों पर होती है जिसका प्रयोग विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त में ही किया जा सकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ओ.ई.आर. सामग्री को डाउनलोड कर कक्षा अध्यापन के लिए बिना कोई खर्च किए इसका उपयोग किया जा सकता है। यह इंटरनेट सुविधा भारत में तेजी से आ रही है। वह दिन दूर नहीं जब एक अध्यापक भारत के किसी भी गाँव से ओ.ई.आर. को अभिगम्य (access) बनाकर उसकी सहायता से कक्षा अध्यापन करना आरंभ कर देगा।

विद्यालयों के लिए मुक्त शैक्षिक संसाधन परियोजना (Project on Open Educational Resources for Schools – OER4S)

होमीभाभा विज्ञान केन्द्र, जो विज्ञान तथा गणित की शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक राष्ट्रीय केन्द्र है (<http://www.hbese/tifr.res.in>) ने हाल ही में निःशुल्क ज्ञान संसाधन विकसित करना आरंभ किया है। अगले चरण में यह विद्यालयों के लिए मुक्त शैक्षिक संसाधनों का निर्माण करना चाहता है जिसका उपयोग देश के सुदूर छोटे-छोटे गाँव में पढ़ रहे विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इस परियोजना का निधीयन महाराष्ट्र सरकार के राजीव गाँधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन होमीभाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र (Homi Bhabha Centre for Science Education - HSBCE), महाराष्ट्र ज्ञान निगम मर्यादित (MKCL) तथा इंडियन कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन (I-CONSENT) द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यालयी विज्ञान और गणित में उपयुक्त संसाधन विकसित करना है जिस में प्रणाली की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया हो और जिसे एम.के.सी.एल. की वेबसाइट के द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। पिछले दशक में एम.के.सी.एल. ने कुछ ऐसी कक्षाओं का विकास किया है जिससे बिना किसी कठिनाई के वेबसाइट डाटा को उन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सकता है जिनकी रुचि शिक्षा में हो। विद्यालयी शिक्षा में रुचि रखने वाले स्टेकहोल्डर्स मुख्यतः तीन होते हैं: विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक। यह सामग्री मराठी भाषा में निर्मित की गई है ताकि महाराष्ट्र में रहने वाले उपर्युक्त तीनों वर्गों को इसका लाभ मिल सके। इस सामग्री के निर्माण के लिए विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं जिनमें अनुभवी अध्यापक, उत्साही माता-पिता, विशेषज्ञ तथा शिक्षा के शोधार्थी सम्मिलित होते हैं। इस सामग्री को कोई भी व्यक्ति बिना किसी लागत के अभिगमित कर सकता है। अब ऐसा



विचार किया जा रहा है कि इस ओ.ई.आर. आधारित सामग्री को अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए। परंतु यह कार्य तभी किया जाए जब इसकी फील्ड टैस्टिंग (क्षेत्र परीक्षण) कर आवश्यक परिवर्तन कर दिए जाए।

9.4 समावेशी शिक्षा

9.4.1 अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य

समावेशी शिक्षा शब्द को हाल के वर्षों में काफी महत्व मिला है तथापि शिक्षा के इतिहास में इसकी उत्पत्ति को अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य में ढूँढ़ा जा सकता है। यद्यपि आज समावेशी शिक्षा अभियान एक अन्तरराष्ट्रीय घटना है, इसकी उत्पत्ति अपेक्षाकृत धनाढ्य और विकसित देशों में हुई। इन देशों ने विकलांग (अशक्त) व्यक्तियों के लिए बने विशेष विद्यालयों से ऐसे अध्येताओं का नियमित विद्यालयों में स्थापन करने पर बल दिया। यह परिवर्तन उस व्यापक आंदोलन का भाग था जिसमें अब अशक्तता को अपंगता नहीं समझा जाने लगा जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से अलग समझा जाता था। इस सोच के परिणामस्वरूप, जिसमें अशक्तता एक अपंगता न होकर एक अलग प्रकार की योग्यता है, एकीकरण या संघटन का युग आरंभ हुआ जिससे समावेशी शिक्षा का अभियान उभरकर आया जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना अनिवार्य और महत्वपूर्ण समझा जाने लगा।

शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार कई अन्तरराष्ट्रीय घोषणाओं में प्रकट हुआ। प्रथम अन्तरराष्ट्रीय घोषणा जिसमें यह मुद्दा सामने आया वह था चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस (1942)। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) ने भी शिक्षा के अधिकार महत्व को दोहराया। अध्येताओं के “शिक्षा के अधिकार” को यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ दी राइट्स ऑफ दी चाइल्ड (बच्चे के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा) (1959) में और अधिक महत्व व बल मिला। इस घोषणा के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा का दायित्व अभिभावकों का है। बाद में “सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र” (यू.एन. 1966) में शिक्षा की समानता को भी सम्मिलित कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र के बच्चे के अधिकारों पर हुए सम्मेलन (जो 1992 में हुआ) में 107 देशों ने “सबके लिए शिक्षा” पर अपनी आधिकारिक वचनबद्धता दे दी है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के लिए बच्चे के अधिकार के प्रतिज्ञापत्र स्पष्ट करता है कि यह समान अवसरों के आधार पर होना चाहिए और आदेश देता है कि बच्चे के व्यक्तित्व, प्रतिभा, मानसिक, तथा शारीरिक योग्यताओं का विकास पूर्णतम क्षमताओं तक होना चाहिए। इस अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार नामक अधिनियम पारित कर दिया है।

सैलेमां का कथन (1994) में यूनेसको के तत्वाधान में जारी किया गया। निम्न प्रकार के प्रावधान हैं:



“वह निर्देशक सिद्धांत जो इस फ्रेमवर्क को अनुप्रमाणित करता है यह है कि विद्यालयों को सभी प्रकार के अध्येताओं को दाखिल करना चाहिए, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषिक या कोई अन्य स्थिति कैसी भी क्यों न हो। इसमें अशक्त तथा प्रतिभाशाली, अध्येता; गलियों में घूमने वाले और श्रमजीवी अध्येता; दूरस्थ और खानाबदोश जनसमुदाय से आने वाले बच्चे; भाषिक, सांस्कृतिक, नृजातीय अल्पसंख्यक अध्येता, और अन्य अलाभित (वंचित) या सीमांत अध्येता सभी सम्मिलित होते हैं।”

यह देखने योग्य बात है कि समावेशी शिक्षा के व्यवहार में लाने से हम उन सभी प्रकार की समस्याओं पर काबू पा सकते हैं जिनका जिक्र ऊपर किया जा चुका है।

9.4.2 समावेशी शिक्षा के लाभ

विकसित देशों की तुलना में समावेशी शिक्षा का महत्व विकासशील देशों के लिए कहीं अधिक है। इसे व्यवहार में लाने से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं:

- **संसाधनों का कुशल प्रयोग:** शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिसमें संसाधनों का बड़ा महत्व है और देश की अन्य आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की तुलना में देखा जाता है। यही कारण है कि विकासशील देशों में प्रायः संसाधनों की कमी होती है। इन देशों के लिए अलग-अलग समूहों के लिए अलग-अलग प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करना संभव नहीं है। इसकी बजाय सीमित संसाधनों का प्रयोग सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लाभ के लिए करना एक व्यवहार्य समाधान है क्योंकि इससे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग होता है।
- **लागत प्रभाविता:** समावेशी शिक्षा मात्र लागत कुशल ही नहीं अपितु लागत प्रभावी भी है। समावेशन न केवल निःशक्त व्यक्तियों की वृद्धि को आश्वस्त करता है अपितु गैर-निःशक्त व्यक्तियों के विकास का भी आश्वासन देता है। अर्थात् समावेशन से सामान्य तथा गैर-सामान्य (विशेष) अध्येताओं को लाभ मिलता है। इस प्रकार इससे सभी के लिए एक अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होती है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा समाज में स्तरीकरण की भावना को कम करने में और इस प्रकार समाज के विभिन्न समूहों में सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक होती है।
- **विकेन्द्रीकरण:** समावेशी शिक्षा को कार्यान्वित करने से विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे स्पष्ट है, विकेन्द्रीकरण से राष्ट्रीय और शासन को केन्द्रीय प्रबंधन तथा प्रशासन संबंधी लागत को कम करने में सहायता मिलती है। साथ-ही-साथ इससे स्थानिक निर्णयन प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, जो स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक सहायक है। तथा इससे स्थानीय व्यक्तियों या समूहों को निर्णयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। सारांश में, यह एक उपभोक्ता संचालित या प्रेरित शिक्षा नीति है न कि केन्द्रीकृत निर्णय का नौकरशाही रूप।



9.4.3 एक समावेशी विद्यालय की कक्षा

एक समावेशी विद्यालय बनाने के पीछे वास्तविक प्रयोजन है एक समावेशी समाज का विकास जिसमें प्रत्येक सदस्य को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि अध्येता जनसमुदाय में पाई जाने वाली विभिन्नता को यथेष्ट महत्व दिया जाए और ऐसे प्रावधान किए जाए कि प्रत्येक के अधिकारों की प्राप्ति हो सके। सभी के लिए अभिगम्यता समावेशी विद्यालयों की केन्द्रीय अवधारणा है। इसमें पाठ्यचर्या संचालन समेत विद्यालय का भौतिक व मनोवैज्ञानिक वातावरण भी सम्मिलित होता है। विद्यालय के ये सभी पक्ष ऐसे हैं जो विभिन्न योग्यताओं और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों वाले अध्येताओं के लिए सहायक हो। सारांश में, यह अनिवार्य है कि विद्यालय का अधिगम परिवेश समावेशी हो जिसमें सभी विद्यार्थियों के वैयक्तिक, शैक्षिक, तथा सांस्कृतिक (व्यावसायिक) विकास को पोषित करने की क्षमता हो।

किसी समावेशी कक्षा का अनिवार्य पक्ष होता है अध्यापक की अभिवृत्ति या उसका दृष्टिकोण। उदाहरणार्थ, एक ऐसा अध्यापक जिसकी धारणा है कि बुद्धि वंशानुगत होती है और इसमें सुधार लाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, वह सभी विद्यार्थियों के विकास को बढ़ावा नहीं दे सकता। दूसरी ओर वह अध्यापक जो व्यक्तियों की क्षमता के बारे में आशावादी है और उसका मानना है कि बुद्धि का प्रकटीकरण विभिन्न रूपों में हो सकता है, वह कक्षा में एक समावेशी वातावरण पैदा कर सकता है जिससे व्यक्तिगत प्रतिभा का पोषण होगा। अध्यापक को यह अनुभव करना चाहिए कि अध्येता में विविधता का पाया जाना अपरिहार्य है और प्रत्येक की आवश्यकताएँ तथा अपेक्षाएँ अलग-अलग होती हैं। इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करें जो सभी बच्चों के विकास को पोषित करने में सहायक हो। ऐसे सहायक वातावरण में प्रत्येक को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के ढाँचे के अंतर्गत प्रत्येक निःशक्त बच्चे को प्रतिवर्ष 1200 रुपये दिए जाते हैं। इस धनराशि के लिए योजना बनाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह धनराशि मात्र किसी बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं दी जाती बल्कि इसका उपयोग विद्यालय/निवास स्थल/गाँव स्तरों पर समावेशी शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य स्तरीय संस्थाओं को यह निधि निर्धारित की जाती है ताकि वे समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकें। इसके लिए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिले में निःशक्तों की कुल संख्या कितनी है। कुछ निःशक्त बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें केवल विशेष शिक्षा अध्यापक की ही आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें साधारण उपकरण (सहायक उपकरण) जैसे श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि की आवश्यकता हो। तथापि, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यह धन वार्षिक रूप से खर्च करना है; इसे एक या दो वर्ष तक संचित किया जा सकता है और बाद में इसे कोई बहुत बड़ी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

दूसरे क्रियाकलाप जिनके लिए इस धन का उपयोग हो सकता है वे हैं मूल्य निर्धारण कैंप, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, समुदाय जागरूकता अभियान, 45 दिन का भारतीय पुनर्वास



परिषद से मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों से विशिष्ट सेवाओं के लिए अनुरोध किया जा सकता है। प्रयास यह रहे कि ये सहायक सामग्री या यंत्र आदि केवल अच्छी प्रकार से शिनाख्त किए हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही मिल सके। बच्चों को आवासीय विशेष विद्यालयों में केवल असाधारण परिस्थितियों में ही भेजा जाए। जहाँ तक संभव हो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपने परिवार के साथ ही रहने दिया जाए। इनकी शिक्षा के लिए विशेष शैक्षणिक प्रबंध प्रत्येक जिले उसमें उपलब्ध संसाधनों का ध्यान रखते हुए करने चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में ही पढ़ें न कि उन्हें विशेष विद्यालयों में भेज कर उनके समकक्षियों से अलग कर दिया जाए।

9.5 विद्यालयों में बाल अधिकारों को सुरक्षित रखना

मार्च 2007 में "बच्चे के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग" (NCPCR) की स्थापना की गई। यह आयोग संसद द्वारा पारित अधिनियम (2005) प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। आयोग को दिए गए अधिदेश (आदेश पत्र) के अनुसार यह सुनिश्चित करना था कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएँ बच्चे के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों जैसा कि भारत के संविधान में तथा बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते में प्रतिष्ठित हैं। अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार एक बच्चे से अभिप्रायः कोई मानव जीव जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। बच्चे की यह परिभाषा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है और यू.एन.सी.आर.सी. (United Nations Child Rights Convention) द्वारा दी गई है। और यह भारत में भी स्वीकार्य है। यही कारण है कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों (व्यक्तियों) को मताधिकार है और उनका ही ड्राइविंग लाइसेंस भी बन सकता है।

यह सही है कि सभी बच्चों को, उनके सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों या भौगोलिक स्थिति के कारण, सुरक्षा की आवश्यकता होती है; परंतु कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा अधिक असुरक्षित अनुभव करते हैं तथा उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। ये बच्चे हैं: बेघर बच्चे (जैसे पट्टरियों पर रहने वाले, विस्थापित, निष्कासित, शरणार्थी), प्रवासी, गलियों में घूमने फिरने वाले, भगोड़े बच्चे, अनाथ या परित्यक्त बच्चे, श्रमजीवी बच्चे, भिखारी बच्चे, वेश्याओं के बच्चे, अवैध रूप से बेचे या खरीदे गए बच्चे, जेल/कारावास में रहने वाले बच्चे, द्वंद से पीड़ित बच्चे, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित बच्चे, एच.आई.वी./एड्स ग्रसित बच्चे, असाध्य रोगों से पीड़ित बच्चे, निशक्त बच्चे, तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे।

भारत का संविधान सभी बच्चों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है: ये हैं:

- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)



- 14 वर्ष की आयु तक खतरनाक नियोजन (नौकरी) से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 24)
- कुप्रयोग किए जाने तथा आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसे व्यवसायों में जाने से जो उनकी आयु या ताकत के लिहाज से उपयुक्त न हों, उनसे सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 39 e)
- एक स्वस्थ तरीके से बढ़ने के लिए समान अवसरों तथा सुविधाओं का अधिकार. जिसमें स्वतंत्रता तथा सम्मान परिस्थितियाँ हों और बचपन की निश्चित सुरक्षा हो ताकि शोषण न किया जा सके और न ही नैतिक तथा भौतिक परित्याग हो सके (अनुच्छेद 39 f)

इसके अतिरिक्त उनके अधिकार भारत के किसी भी नागरिक के अधिकारों के समान हैं चाहे वह प्रौढ़ हों, पुरुष हों अथवा स्त्री हो, जैसे

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
- अनुचित भेदभाव या अनुचित पक्षपात के विरुद्ध अधिकार
- वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार (अनुच्छेद 21)
- समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से बचाए जाने का अधिकार (अनुच्छेद 46)

शोध, प्रलेखन तथा सरकार के सिविल सोसाइटी समूहों के हस्तक्षेप के आधार पर बच्चे की सुरक्षा संबंधी बहुत से मुद्दे सामने आए हैं। इनमें से कुछ वे मुद्दे जिनका संबंध विद्यालयी शिक्षा से है, निम्नलिखित हैं:

- लिंग आधारित पक्षपात
- जाति आधारित भेदभाव
- निःशक्तता
- विद्यालयों में शारीरिक दंड
- परीक्षाओं का दबाव, व
- विद्यालयों द्वारा आत्महत्याएँ

यह सुनिश्चित करना एक विद्यालयी अध्यापक का दायित्व है कि विद्यालय के बच्चों के अधिकारों की सही तरीके से सुरक्षा हो और उनके साथ विद्यालय परिसर में कोई अन्याय न होने पाए।



9.6 सारांश

भारतीय समाज संभवतः विश्व के अत्यधिक विषमांग समाजों में से एक है। हमारे समाज में असंख्य ऐसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, जातियाँ हैं जिनकी संसाधनों या शिक्षा तक पहुँच नहीं है। कुछ राज्यों में ऐसी जनजातियाँ भी हैं जिन्हें मात्र जिंदा रहने के लिए आवश्यक सुविधाएँ भी नहीं मिल पाती। फिर कुछ ऐसे सामाजिक वर्ग हैं जो एक जाति या सामाजिक वर्ग के रूप में ही उन लाभों से वंचित हैं जिन्हें समाज के अन्य वर्ग आसानी से पा लेते हैं, जैसे कुछ अनुसूचित जातियाँ/जनजातियाँ, महिलाएँ, सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति तथा उनके बच्चे फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी विशेष आवश्यकताएँ हैं जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग, श्रवण बाधित, दृष्टि दोषयुक्त, मानसिक मंदता से पीड़ित। इन वर्गों के बच्चों को वंचित बच्चे कहा जाता है क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक लाभों से वंचित रह जाते हैं। सामान्य बच्चे की तुलना में इन बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कहा जाता है। इस वर्तमान इकाई में भारतीय समाज के उन सभी प्रकार के बच्चों की शिक्षा पर चर्चा की गई है जो किसी न किसी अक्षमता अथवा सामाजिक भौगोलिक कारणों से सामान्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

इस इकाई में हमने कुछ ऐसे विषयों/समस्याओं पर भी चर्चा की है जिनका संबंध बच्चे की शिक्षा के प्रति अभिगम्यता अथवा अवधारण से है। हमने अनुसूचित जातियों/जनजातियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से सुदूर रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर चर्चा की कि ऐसे बच्चों की शिक्षा के प्रबंधन में सरकार या अध्यापकों का क्या योगदान हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में रहने वाले ऐसे अभावग्रस्त बच्चों के विषय में भी विचार किया है जो श्रमजीवी हैं। शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अथवा गलियों में घूमते रहते हैं, या किसी न किसी कारणवश भिखारी बन गए हैं। एक नागरिक अथवा अध्यापक के रूप में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे बच्चों के प्रति सुग्राही बने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का भरसक प्रयत्न करें।

इकाई के अंतिम अनुच्छेदों में समावेशी शिक्षा की संकल्पना तथा औचित्य पर भी प्रकाश डाला है। इन सबसे परे, इस इकाई ने हमारा ध्यान बच्चों के उन अधिकारों की ओर आकर्षित किया है जिनका हनन प्रति दिन हमारी फैक्टरियों, छोटी दुकानों, खेत खलिहानों में हो रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस आयु में ये बच्चे विद्यालय के प्रांगण में खेलते कूदते, पढ़ते दिखने चाहिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। यह उन बच्चों की विवशता है परंतु हमें अध्यापक के रूप में उनकी सहायता करनी चाहिए और उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहिए।

9.7 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

www.oecd.org/

www.wpi.edu/News/Conf/ISTAS/Presentations/iteducation.pdf



Center for Research on Effective Schooling for *Disadvantaged* ...

www.csos.jhu.edu/otherlinks/cds/cds.html

nvpie.org/inclusive.html

www.ibe.unesco.org/.../Interview_Clementina_Eng13Nov.p df

9.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

- 1) सुविधा वंचित (अलाभित) बच्चों संबंधी मुद्दों की अभिगम्यता तथा अवधारण की व्याख्या करें।
- 2) विद्यालय तथा कक्षा के संदर्भ में समावेशी शिक्षा की व्याख्या करें।
- 3) समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं?

इकाई 10 प्रारंभिक शिक्षा में अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य



संरचना

- 10.0 प्रस्तावना
- 10.1 अधिगम उद्देश्य
- 10.2 जॉमेतियन कांफ्रेंस (सम्मेलन) (1990)
 - 10.2.1 जॉमेतियन सम्मेलन की प्रमुख चुनौतियाँ
 - 10.2.2 अन्तरराष्ट्रीय एकता/भाईचारे को मजबूत बनाना
 - 10.2.3 जॉमेतियन सम्मेलन का ई-9 देशों पर प्रभाव
 - 10.2.4 दक्षिण एशिया क्षेत्र पर प्रभाव
- 10.3 विकासशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा
- 10.4 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण में अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका
 - 10.4.1 यूनेस्को
 - 10.4.2 यूनिसेफ
 - 10.4.3 विश्व बैंक
 - 10.4.4 अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग (डी एफ आई डी)
 - 10.4.5 स्वीडन की अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस.आई.डी.ए.)
- 10.5 विश्व शिक्षा मंच, डकार, सेनेगल – 2000
- 10.6 सारांश
- 10.7 शब्दावली/संकेताक्षर
- 10.8 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 10.9 अन्त्य इकाई अभ्यास




10.0 प्रस्तावना

आप इकाई 1 और इकाई 2 में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रारंभिक शिक्षा में हुए विकास के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको विदित है कि भारत के संविधान के मूल अनुच्छेद 45 तथा 21ए के अनुसार शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। अपने देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संगठनात्मक संरचनाएँ हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के पास कुछ कार्यनीतियाँ तथा योजनाएँ हैं। इस इकाई में हम प्रारंभिक शिक्षा के अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे जिसका विशेष संदर्भ होगा: जॉमातियन सम्मेलन, विश्व शिक्षा मंच, डकार सम्मेलन आदि। इस इकाई में हम विकसित और विकासशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहलों का पुनार्वलाकन भी करेंगे। हम प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण में अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका और “सभी के लिए शिक्षा” (Education for All - EFA) संबंधी प्रयासों को भी आँकने का प्रयत्न करेंगे।

इस इकाई को भली-भाँति समझने के लिए नीचे दिए गए संरचना मानचित्र पर नजर डाल सकते हैं:

अवधारणा – मानचित्र



10.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएँगे कि :

- जॉमितिशन कांफ्रेंस (सम्मेलन) (1990) के मुख्य बलों (दबावों) बिन्दुओं का वर्णन कर सकेंगे;
- ई-9 देशों तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र पर जॉमितिशन कांफ्रेंस के प्रभाव की जाँच कर सकेंगे;



- विकसित तथा विकासशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति की तुलना कर सकेंगे;
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण में अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका की जाँच कर सकेंगे;
- विश्व शिक्षा फोरम (मंच), डकार, सेनेगाल (2000) के परिणामों का पुनरवलोकन कर सकेंगे; और
- “सभी के लिए शिक्षा” कार्यक्रमों की श्रेष्ठताओं का वर्णन कर सकेंगे।

10.2 जॉमेतियन कांफ्रेंस (सम्मेलन) (1990)

5 से 9 मार्च 1990 में थाईलैंड के शहर जॉमेतियन में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ जिसका विषय था “सभी के लिए शिक्षा”। इस सम्मेलन को जॉमेतियन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के 155 देशों ने भाग लिया। विश्व सम्मेलन “सभी के लिए शिक्षा” के प्रतिभागियों ने इस विश्वास की पुनःपुष्टि की कि शिक्षा के लिए सभी का अधिकार है। और उन सभी ने अपनी यह प्रतिबद्धता दोहराई कि वे सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करेंगे। विभिन्न देशों के सभी प्रतिभागियों ने “सभी के लिए शिक्षा : मूल अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति” पर विश्व घोषणा को स्वीकार कर लिया तथा इस घोषणापत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए “फ्रेमवर्क फॉर एक्शन” – क्रियाविधि का फ्रेमवर्क “सभी के लिए शिक्षा” नामक विश्व सम्मेलन में आए प्रतिभागियों ने याद किया कि शिक्षा, समस्त विश्व में किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए, एक मौलिक अधिकार है।

- इस बात को समझा कि शिक्षा एक सुरक्षित, स्वास्थ्यकर, अधिक संपन्न तथा पर्यावरण अनुकूल विश्व को सुनिश्चित करने में सहायक होती है।
- यह जाना कि शिक्षा वैयक्तिक तथा सामाजिक उन्नयन के लिए एक पर्याप्त अवस्था तो नहीं है परंतु एक अपरिहार्य या अनिवार्य अवस्था अवश्य है।
- यह स्वीकार किया कि परंपरागत ज्ञान तथा देशज (native) सांस्कृतिक परंपराओं का विकास में एक मूल्य होता है।
- यह भी स्वीकार किया कि समग्र रूप से शिक्षा के वर्तमान प्रावधान अधिक संगत तथा गुणात्मक रूप से संशोधित होने चाहिए तथा सार्वभौगिक रूप से प्राप्य हों।
- इस बात को जाना कि समर्थ (टोस) बेसिक शिक्षा के उच्च स्तरों तथा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय साक्षरता व क्षमता को मजबूत करने के लिए और अतः आत्म-अवलंबी विकास का सार है।

10.2.1 जॉमेतियन सम्मेलन की प्रमुख चुनौतियाँ

“शिक्षा पर विश्व घोषणा” नामक इस सम्मेलन में “सभी के लिए शिक्षा” के प्रयोजन, विस्तृत



दर्शन, वचनबद्धता और आवश्यकताओं के अनुसार 9 अनुच्छेदों का प्रारूप बनाया जो इस सम्मेलन के मुख्य चुनौतियाँ थीं तथा जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:

i) मूल अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना

- क) प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो, युवक हो अथवा प्रौढ़ हो, उन शैक्षिक अवसरों का लाभ उठा सकेगा जो उसकी मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं का कार्यक्षेत्र, विस्तार या उद्देश्य तथा उनकी पूर्ति कैसे हो, ये बातें अलग-अलग देशों या संस्कृतियों में भिन्न हो सकती है और अनिवार्यतः समय के साथ भी बदलेंगी।
- ख) इन आवश्यकताओं की पूर्ति से किसी भी समाज के व्यक्ति अपने सामूहिक सांस्कृतिक, भाषिक, तथा आध्यात्मिक परंपराओं को समृद्ध करने में समर्थ होते हैं तथा दूसरों की शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं।
- ग) शैक्षिक विकास का मूल उद्देश्य सामूहिक सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का संप्रेषण तथा संवर्धन होता है। इन्हीं मूल्यों में व्यक्ति तथा समाज अपनी पहचान तथा योग्यता की तलाश करते हैं।
- घ) बेसिक शिक्षा जीवन पर्यन्त अधिगम तथा मानव विकास की आधार शिक्षा होती है।

ii) दूर-दृष्टि को रूप देना

- क) विद्यमान प्रक्रियाओं/पद्धतियों का सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए एक ऐसी विस्तृत दूर-दृष्टि की आवश्यकता है जो वर्तमान संसाधन स्तरों, संस्थागत ढाँचा, पाठ्यचर्या, तथा परंपरागत शिक्षण विधियों से भी परे हो।
- ख) इस विस्तृत दूर-दृष्टि में निम्नलिखित आने चाहिए:
- अभिगम्यता को सार्विक बनाना तथा निष्पक्षता को प्रोत्साहित करना
 - अधिगम पर फोकस करना
 - बेसिक शिक्षा के साधनों और कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना
 - अधिगम के लिए वातावरण में वृद्धि करना
 - भागीदारी को मजबूत बनाना
- ग) मानव प्रगति तथा सशक्तिकरण के लिए अंतर्निहित क्षमताओं/योग्यताओं की अनुभूति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या शिक्षा प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को समर्थ किया जा सकता है।

iii) अभिगम्यता का सार्विकीकरण तथा निष्पक्षता को प्रोत्साहित करना

- क) गुणवत्तायुक्त बेसिक शिक्षा सेवाओं का विस्तार किया जाए तथा विषमताओं को कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।



- ख) बेसिक शिक्षा निष्पक्ष तथा औचित्यपूर्ण हो, सभी के लिए अधिगम के स्तर बनाए रखे जाए तथा उपलब्धि के लिए सबको अवसर मिले।
- ग) सबसे महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक प्राथमिकता है लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए अभिगम्यता को सुनिश्चित करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और उन सभी बाधाओं को हटाना जो इनकी सक्रिय भागीदारी में रोड़ा बनती हैं।
- घ) शैक्षिक विषमता को दूर करने के लिए सक्रिय वचनबद्धता की जाए। अधिगम अवसरों के लिए सुविधाविहीन समूहों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
- ङ) निर्योग्य/अशक्त बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं के प्रति विशेष अवधान देना चाहिए। इसके लिए शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में अशक्त बच्चों के प्रत्येक वर्ग की शिक्षा में समान अभिगम्यता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

iv) अधिगम पर फोकस करना

किसी व्यक्ति या समाज के लिए विस्तारित शैक्षिक अवसर सार्थक विकास में रूपांतरित होंगे या नहीं, अन्ततोगत्वा यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इन अवसरों के फलस्वरूप लोग वास्तव में कुछ सीख सकें। अतः बेसिक शिक्षा का फोकस वास्तविक अधिगम प्राप्ति तथा निष्पत्तियों पर होना चाहिए।

v) बेसिक शिक्षा के साधनों तथा कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना

अध्येताओं की बेसिक अधिगम आवश्यकताओं की विभिन्नता, जटिलता, परिवर्तनीय प्रकृति की यह अपेक्षा है कि बेसिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया जाए और पुनः परिभाषित किया जाए ताकि उसमें निम्नलिखित घटकों का समावेश हो जाए:

- अधिगम जन्म से ही आरंभ हो जाता है।
- परिवार से परे बेसिक शिक्षा की हस्तांतरण शैली प्राथमिक विद्यालयन(schooling) है।
- नवयुवकों तथा प्रौढ़ों की मूल अधिगम आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की अध्यापन शैलियों की आवश्यकता है।
- सामाजिक मुद्दों पर लोगों के आवश्यक ज्ञान, सूचना, दोनों अथवा शिक्षित करने के लिए सभी उपलब्ध उपकरणों तथा सूचना स्रोतों, संप्रेषणों अथवा सामाजिक कार्यवाही का प्रयोग किया जा सकता है।

vi) अधिगम के लिए पर्यावरण संवर्धन

सभी अध्येताओं को पूर्ण पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य शारीरिक और सांवेगिक सहायता जिसकी भी उन्हें आवश्यकता हो, दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी शिक्षा प्रक्रिया में सक्रियता से प्रतिभागी बन सकें और उसका लाभ उठा सकें।



वे ज्ञान तथा कौशल जिससे बच्चों को अधिगम वातावरण में वृद्धि होती हो, उन्हें प्रौढ़ों के लिए बने सामुदायिक अधिगम कार्यक्रमों के साथ संघटित कर दिया जाना चाहिए। बच्चों तथा उनके अभिभावकों या अन्य देखभाल करने वालों की शिक्षा पारस्परिक रूप से सहायक होती है। और इस अंतःक्रिया का प्रयोग एक उत्साही सक्रिय अधिगम वातावरण निर्मित करने के लिए करना चाहिए।

vii) भागीदारी को मजबूत बनाना

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय अधिकारिकी का यह एक विशेष दायित्व है कि वे “सबके लिए शिक्षा” का प्रावधान करें। इसके लिए सभी स्तरों पर नई और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अध्यापकों तथा परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी देशों में अध्यापकों की सेवा शर्तों तथा उनकी स्थिति, जो “सबके लिए शिक्षा” के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, में तुरंत सुधार लाया जाए।

viii) एक समर्थक नीति संदर्भ विकसित करना

क) व्यक्तिगत तथा समाजीय विकास के लिए बेसिक शिक्षा के पूर्ण प्रावधानों और उपयोगिता को प्राप्त करने की दृष्टि से सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में समर्थक नीतियों की आवश्यकता है। अतः उपयुक्त आर्थिक, व्यापारिक, श्रम, नियोजन तथा स्वास्थ्य नीतियाँ सामाजिक विकास में अध्येता के प्रयास तथा योगदान को बढ़ाएँगी।

ख) विभिन्न समाजों से अपेक्षा है कि वे बेसिक शिक्षा के लिए एक मजबूत बौद्धिक तथा वैज्ञानिक पर्यावरण सुनिश्चित करें।

ix) संसाधन संघटन (Resource Integration)

क) सभी की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह अनिवार्य है, कि नए और वर्तमान वित्तीय, मानव संसाधनों – निजी, सरकारी तथा ऐच्छिक – का संघटन किया जाए।

ख) परिवर्द्धित सरकारी क्षेत्र का समर्थन/सहायता: इसका अर्थ है मानव विकास के लिए उत्तरदायी सभी सरकारी एजेंसियों के संसाधनों का लाभ उठाना।

10.2.2 अन्तरराष्ट्रीय एकता/भाईचारे को मजबूत बनाना

क) बेसिक अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक सामूहिक तथा सार्वभौमिक मानव उत्तरदायित्व है। इसके लिए अनिवार्य है कि वर्तमान आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना/भाईचारा तथा निष्पक्ष तथा औचित्यपूर्ण आर्थिक संबंध स्थापित किए जाए। प्रभावी शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सभी राष्ट्रों के पास मूल्यवान ज्ञान और अनुभव हैं।



- ख) बेसिक शिक्षा के लिए संसाधनों में ठोस और दीर्घकालिक बढ़ोतरी की आवश्यकता है।
- ग) बच्चों और प्रौढ़ों की मूल अधिगम आवश्यकताओं की जब भी वे उत्पन्न हों, पूर्ति कर दी जाए।
- घ) अतः यह अनिवार्य है कि द्वंदों, झगड़ों, कलहों के समाधान के लिए सैनिक अभिग्रहण (कब्जा) को समाप्त करने तथा विस्थापित जनसमूहों को बसाने के लिए सभी राष्ट्र मिलकर कार्य करें। एक स्थिर तथा शांत वातावरण के माध्यम से ही उन स्थितियों का निर्माण हो सकता है जिससे इस विश्व घोषणा के लक्ष्यों का प्रत्येक मनुष्य को लाभ मिल सकता है।

जामतियन सम्मेलन में मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक क्रियाविधि के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसके निम्नलिखित बिंदु कार्यवाही के मुख्य क्षेत्र हैं:

- क) पूर्व बाल्यकाल देखभाल तथा शिक्षा क्रियाकलाप का विस्तार
- ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्विक अभिगम्यता तथा इसकी पूर्ति
- ग) अधिगम वातावरण में सुधार
- घ) प्रौढ़ निरक्षरता में कमी
- ड) नवयुवकों व प्रौढ़ों के लिए बेसिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण का विस्तार; तथा
- च) व्यक्तियों तथा परिवारों द्वारा एक अच्छे जीवनयापन के लिए ज्ञान, कौशलों और मूल्यों में परिवर्धन

क्रिया (विधि) योजना के लिए "सबके लिए शिक्षा" के घोषणापत्र में कुछ बेसिक सिद्धांत दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:

- क) **निष्पक्षता:** अभिगम्यता का सार्विकीकरण तथा निष्पक्षता को बढ़ावा
- ख) अधिगम पर बल
- ग) बेसिक शिक्षा के अर्थ तथा कार्यक्षेत्र की व्याप्ति
- घ) अधिगम परिवेश में सुधार
- ड) भागीदारी को मजबूत करना

क्रिया योजना तथा बेसिक सिद्धांतों के अनुसार, "सबके लिए शिक्षा" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य लक्ष्य स्थापित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:

मुख्य लक्ष्य

- क) वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा की सार्वत्रिक अभिगम्यता तथा 80 प्रतिशत पूर्ति दर



- ख) वर्ष 2000 तक 1990 के दशक की तुलना में प्रौढ़ निरक्षरता दर को आधा करना जिसमें महिला साक्षरता पर विशेष बल होगा
- ग) **अधिगम उपलब्धि में सुधार:** इस प्रकार जैसे कोई विशेष आयु वर्ग किसी पूर्व निर्धारित या आवश्यक अधिगम उपलब्धि को पार कर जाए या कम से कम 80 प्रतिशत स्तर तक पहुँच जाए।
- घ) पूर्व बाल्यकाल में देखभाल और विकास क्रियाकलाप का विस्तार जिसमें परिवार और सामुदायिक प्रयास भी सम्मिलित किए जाए। इसमें विशेषतः गरीब, निर्योग्य (अशक्त) तथा सुविधा वंचित बच्चे सम्मिलित हैं।

जॉमेतियन सम्मेलन का प्रभाव

जॉमेतियन सम्मेलन ने राष्ट्रीय सरकारों की नीतियों तथा कार्यक्रमों को निम्न प्रकार से प्रभावित किया:

- बेसिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाया जिसमें अब प्रौढ़ साक्षरता, नवयुवकों के लिए जीवन कौशलों में प्रशिक्षण तथा विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए पूर्व बाल्यकाल बाल देखभाल तथा विकास सम्मिलित हैं।
- विकास योजनाओं में “सबके लिए शिक्षा” को प्राथमिकता।
- चल रही योजनाओं में विशेष शैक्षिक नीतियों का निर्माण जिसमें “सबके लिए शिक्षा” पर विशेष बल दिया गया है तथा उनमें “सबके लिए शिक्षा” के विशिष्ट घटकों को सम्मिलित किया गया हो।
- पहले से चल रहे विद्यालय सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाना जिसमें गुणवत्ता सुधार, विस्तार, अध्यापक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या सुधार, लैंगिक बराबरी तथा सुविधा वंचित और गरीबों के साथ विशेष प्राथमिकता के आधार पर बर्ताव सम्मिलित हों।
- शैक्षिक विकास की नई परियोजनाएँ चलाना

राष्ट्रीय सरकारों पर प्रभाव

- शिक्षा प्रणाली की योजना तथा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास
- शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण
- सभी शैक्षिक क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी में सुधार लाने के लिए विशेष प्रक्रमों का विकास
- राजकीय तथा गैर-राजकीय संगठनों में भागीदारी को मजबूत बनाना



10.2.3 जॉमेतियन सम्मेलन का ई-9 देशों पर प्रभाव

उच्च जनसंख्या दर वाले देश जिनमें बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिश्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान सम्मिलित हैं; ये विश्व की जनसंख्या का 50 प्रतिशत हैं, ये ई-9 देश कहलाते हैं। जॉमेतियन सम्मेलन, 1990 के पश्चात् ई-9 देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली में 1993 में हुआ। इन दोनों सम्मेलनों के पश्चात् सभी ई-9 देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

जॉमेतियन सम्मेलन के प्रभाव के रूप में ई-9 देशों की निम्नलिखित उपलब्धियाँ रही हैं:

- प्रौढ़ निरक्षरता में अत्यधिक कमी
- पूर्व बाल्यकाल शिक्षा संबंधी कार्यनीतियों में बढ़ोतरी
- विद्यालय पूर्व शैक्षिक कार्यनीतियों तथा सेवाओं में ठोस वृद्धि
- सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा की ओर महत्वपूर्ण प्रगति
- लैंगिक बराबरी में तथा लड़के और लड़कियों के लिए विद्यालय अभिगम्यता तथा विद्यालय उपस्थिति में सुधार
- सहअस्तित्व तथा नागरिक शिक्षा के लिए अभिवृत्तियों और मूल्यों का यथासमय विकास
- शैक्षिक सेवाओं का केन्द्रीकरण
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का विकास
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मुख्यधारा विद्यालयों में समावेशन में प्रगति
- अध्यापक प्रशिक्षण के लिए तथा अधिगम के विस्तार के लिए दूर शिक्षा प्रणाली का प्रयोग
- विशेष लक्ष्य समूहों के लिए कार्यक्रमों का विकास
- शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डाटा बेस, मूल्यांकन तथा प्रत्यायन (accreditation) को मजबूत बनाना
- गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी का प्रसार
- मीडिया के माध्यम से "सबके लिए शिक्षा" के विषय में लोक जानकारी में वृद्धि

10.2.4 दक्षिण एशिया क्षेत्र पर प्रभाव

जॉमेतियन सम्मेलन के पश्चात् दक्षिण एशिया के देशों में बहुत-सी नई पहलें की गईं और व्यापक रूप में कार्यनीतियाँ, योजनाएँ, कार्यक्रम तथा परियोजनाएँ तैयार की गईं तथा



कार्यान्वित की गई। लक्ष्यों की पुनःपुष्टि की गई, उन्हें पुनः परिभाषित किया गया, नए लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इन की तिथियों में भी आवश्यक बदलाव किए गए। प्रगति को मॉनीटर किया जाने लगा, नई कार्यनीतियाँ परखी गई। स्मरण रहें कि उपर्युक्त क्षेत्र (अर्थात् दक्षिण एशियाई क्षेत्र) में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका देश सम्मिलित हैं।

जॉमेतियन सम्मेलन के पश्चात् इस क्षेत्र की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

- प्राथमिक विद्यालयी पंजीयन में वृद्धि
- पूर्व बाल्यकाल देखभाल तथा शिक्षा में विस्तार
- गुणवत्ता को उच्च प्राथमिकता
- कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता में वृद्धि
- शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणालियों में सुधार
- बेसिक शिक्षा के लिए निर्धारित राष्ट्रीय बजट में वृद्धि
- वर्तमान संसाधनों का उचित व प्रभावी उपयोग
- बेसिक शिक्षा की अन्तरराष्ट्रीय सहायता में वृद्धि
- वैधानिक कार्यवाही, अभियानों, परियोजनाओं तथा बेसिक शिक्षा संबंधी सुधारों में वृद्धि
- बेसिक शिक्षा में अधिक नवाचारी पहलें
- निजी क्षेत्र तथा राजकीय क्षेत्र के बीच अधिक साझेदारी

सभी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को नजदीक लाने, "सबके लिए शिक्षा" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वचनबद्धता दर्शाने, तथा विकासशील देशों के सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए जॉमेतियन सम्मेलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस प्रकार जॉमेतियन सम्मेलन का योगदान प्रेरणात्मक तथा प्रत्यक्ष दोनों रहा है।

10.3 विकासशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा

विश्व के बहुत सारे भागों में प्रारंभिक शिक्षा की सार्विक अभिगम्यता पर भी एक अधूरी प्रतिज्ञा है। "सबके लिए शिक्षा" की विश्व घोषणा, बेसिक अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रियाविधि ढाँचा, "सबके लिए शिक्षा" के लिए ई-9 देशों की घोषणा, तथा 40 वर्ष पुराना मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा, इन सभी का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को विशिष्टता प्रदान करना था। इस संदर्भ में आइए, अब विकासशील तथा विकसित देशों में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति के बारे में जाने।



लगभग 7.5 करोड़ (75 मिलियन) बच्चों को जिनमें से आधे से अधिक लड़कियाँ हैं, प्राथमिक विद्यालय में जाने का भी अवसर नहीं मिल रहा है। अफ्रीका में 33 प्रतिशत बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय छोड़ जाते हैं, उन्हें सामाजिक रूप से सुविधा वंचित समूहों के लिए बनाए गए विद्यालयों में पंजीकृत किया जाता है। 50 प्रतिशत बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते, ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले होते हैं। बहुत से विकासशील देशों में परंपरागत भूमिका निर्धारण के कारण लड़कियाँ विद्यालय में नहीं जाती। लड़कों को प्रायः विद्यालय में भेजा जाता है यह प्रचलन अफ्रीका के सहारा क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रों तथा दक्षिण और पश्चिम एशिया के देशों में पाया जाता है जहाँ शिक्षा के लिए लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। विकासशील देशों में निम्नलिखित कारक प्रारंभिक शिक्षा में बाधक कारकों के रूप में देखे गए हैं:

- **अपर्याप्त बजट:** अधिकांश विकासशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए निर्धारित वित्तीय बजट इतना अपर्याप्त या कम होता है कि इससे सार्विक अनिवार्य विद्यालयी उपस्थिति के लक्ष्य की प्राप्ति की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती। यदि सार्विकीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो प्रारंभिक शिक्षा के बजट को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त खराब अभिशासन, निधीयन का अनुपयुक्त प्रयोग, घूसखोरी (भ्रष्टाचार), प्रबंधन तथा संगठनात्मक कौशलों का अभाव कुछ अन्य बाधाएँ हैं जिनके कारण प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण नहीं हो पा रहा है।
- **विद्यालयों तथा अध्यापकों की कमी:** ग्रामीण क्षेत्र तथा कमजोर जिलों में व्यापक प्राथमिक विद्यालय नेटवर्क की कमी देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के विद्यालय पहुँचने के लिए कई कि.मी. की दूरी पैदल ही पूरी करनी पड़ती है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था का भी अभाव होता है। विशेष बहुत सारी लड़कियों को घर से दूर विद्यालय में भेजने के लिए माता-पिताओं की रुचि नहीं होती क्योंकि उन्हें अपने लड़कियों की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। बहुत सारे विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री का भी अभाव होता है तथा बहुत सारे विद्यालयों के पास बच्चों के लिए जल, विद्युत तथा परिवहन की व्यवस्था करने के लिए धन का अभाव होता है।

बहुत सारे विकासशील देशों में अध्यापकों के लिए काम करने की अवस्थाएँ संतोषजनक नहीं हैं। बहुत से अध्यापकों को दिन में दो या तीन शिफ्टों में भी पढ़ाना पड़ता है और प्रत्येक कार्य में विद्यार्थियों की संख्या काफी बड़ी होती है तो इस सबके बावजूद वेतन बहुत ही कम दिया जाता है। बहुत से अध्यापक सही रूप में प्रशिक्षित नहीं होते। अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी काफी मात्रा में होती हैं। बहुत सारे अध्यापकों को एड्स जैसी घातक बीमारियाँ होती हैं। बहुत सारे विद्यालयों में अध्यापन गुणवत्ता काफी कमजोर होती है। समूह कार्य, स्वतंत्र अधिगम विवेचनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा जीवन कौशलों को प्रोत्साहन आदि पक्षों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।



- **लागत:** विकासशील देशों में बहुत से आदमियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में आने वाले खर्च को उठा नहीं पाते हैं जैसे विद्यालय शुल्क, पुस्तकों व लेखन सामग्री का खर्च, विद्यालय की वर्दी या परिवहन खर्च। उन देशों में जहाँ शिक्षा निःशुल्क है, पंजीयन दर काफी बढ़ गई है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके माता-पिता उनसे काम करवाते हैं ताकि घर का खर्च पूरा किया जा सकें। सर्वेक्षण बताते हैं कि 16.6 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 16 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र में 4 में से एक और एशिया के देशों में पाँच में से एक बच्चा ऐसा है जिसे जीवनयापन के लिए कार्य करना पड़ता है।
- **निम्न साक्षरता दर:** विकासशील देशों में 30-50 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा के 4 वर्ष के पश्चात विद्यालय छोड़ चुके होते हैं। इन्हें न तो साक्षर कहा जा सकता है और न ही निरक्षर। 15 और 24 वर्ष के आयु के मध्य 11 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं। विश्व के कुल निरक्षरों में से 98 प्रतिशत ऐसे हैं जो न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। ये विकासशील देशों में रहते हैं।

10.4 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण में अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियाँ की भूमिका

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण तथा “सबके लिए शिक्षा” के लक्ष्यों की तेजी से तथा निरंतर रूप से प्राप्ति करने के लिए विश्व भर में विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियाँ कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यू.एस.एड, डी.एफ.आई.डी., एन.ओ.आर. ए.डी., सी.आई.डी.ए., एस.आई.डी.ए., एस.डी.सी., यूनेस्को, यूनिसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए., यू.एन.डी.पी., ओपेक (ओ.पी.ई.सी.) तथा एस.डी.सी., कुछ मुख्य बाह्य एजेंसियाँ हैं जो सबके लिए शिक्षा के लिए सहयोग कर रही हैं।

10.4.1 यूनेस्को

नवंबर 1945 में लंदन में हुए विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन – यूनेस्को (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation - UNESCO) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के अनुसार अधिगम का महत्व आर्थिक विकास और शांति में है। यूनेस्को एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन है। यूनेस्को नए स्वतंत्र राष्ट्रों को भौतिक तथा मानव संसाधन सहायता प्रदान करता है ताकि उनका शैक्षिक विकास हो सके। ये संस्था अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, अध्ययन पाठ्यक्रम निर्मित करने के लिए कार्यक्रम प्रायोजित करती है। यूनेस्को ने ही 1990 की जॉर्मेतियन सम्मेलन को प्रायोजित किया। इस संस्था ने अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ परामर्श कर के सबके लिए शिक्षा अभियान में सहयोग दिया है। सबके लिए शिक्षा अभियान के समर्थन में यूनेस्को ने



निम्नलिखित दस्तावेजों का निर्माण किया: (i) **क्रियाविधि योजना (Plan of Action)** : जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर लिए जाने वाली क्रियाविधियों को संघटित तथा युक्तियुक्त करता है, (ii) **सबके लिए शिक्षा के लिए राष्ट्रीय क्रियाविधि योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश**: जिसका उद्देश्य विभिन्न सदस्य देशों की राष्ट्रीय सबके लिए शिक्षा योजनाओं के निर्माण में सहायता करना, (iii) **सबके लिए शिक्षा के समर्थन में विकास साझीदार सहयोग दस्तावेज**: मूलाचार तथा कार्यनीतियाँ सबके लिए शिक्षा पर सूचना बाँटने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज बुलेटिन बोर्ड की स्थापना की गई जो महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों पर नियमित रूप से सूचना देता रहता है।

यूनेस्को की सबके लिए शिक्षा के प्रति वचनबद्धता नीचे दिए गए बॉक्स में दी गई है:

पाँच केन्द्रीय क्षेत्र

- सबके लिए शिक्षा को यूनेस्को के सभी कार्यक्रमों/कार्यकलाप में पूर्ण रूप से संघटित करना
- सबके लिए शिक्षा के कार्यान्वयन में देशों की सहायता करना – उदाहरण के लिए उन शिक्षा नीतियों के निर्माण में जो अपवर्जित (excluded) समूहों को पोषित करती हैं।
- क्षमता निर्माण तथा देशों के मध्य आदान-प्रदान के लिए क्षेत्रीय रचनातंत्रों का विकास
- संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग तथा बेसिक शिक्षा में अधिक निवेश
- सबके लिए शिक्षा का अन्तरराष्ट्रीय बैठकों में समर्थन कर वैश्विक स्तर पर सबके लिए शिक्षा की गति को बनाए रखना।

10.4.2 यूनिसेफ

यूनिसेफ का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड (निधि) (United Nations International Children Emergency Fund - UNICEF) है। यह संस्था विश्व के 150 से भी अधिक देशों के बच्चों की उनकी सरकारों के माध्यम से सहायता करती है। वे हैं: स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण, जल प्रदाय तथा शिक्षा है। उपर्युक्त क्षेत्रों में यह प्रत्येक बच्चे के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करती है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि प्रत्येक बच्चे को, बिना किसी लिंग, जाति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के गुणवत्ता शिक्षा तक पहुँच हो। लिंग समानता पर इसका विशेष बल होता है और सभी प्रकार की विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती है। इसके द्वारा चलाए गए नवाचारी कार्यक्रम तथा अन्य प्रयास विश्व के सर्वाधिक सुविधा वंचित बच्चों की ओर लक्षित होते हैं। वे बच्चे जो अपवर्जित (excluded) हैं, असुरक्षित हैं, या अलक्ष्य (गुप्त) हैं। यूनिसेफ "मिलेनियम डिक्लेरेशन 6" तथा "सबके लिए शिक्षा" में निर्धारित शैक्षिक तथा



लिंग समानता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम करता है। यह सामाजिक न्याय तथा सबके लिए समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन लाता है। दुनिया के बहुत सारे बच्चे विद्यालयों से बाहर हैं या बेकार की घटिया शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन सभी बच्चों के कुछ स्वप्न होते हैं जो कभी पूरे न हो सकें, या क्षमताएँ होती हैं जो योग्यता में परिणत न हो सकें। यह सुनिश्चित करके कि प्रत्येक बच्चे की पहुँच गुणवत्ता अधिगम तक होगी, यूनिसेफ ने वृद्धि, रूपांतरण, नवाचार अवसर तथा समानता की आधारशिला रखती है। चाहे संकटकाल हो अथवा शांति का समय, शहर हो या सुदूर गाँव, यूनिसेफ एक मूलभूत, गैर-पारणी (Non-negotiable) लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है और वह लक्ष्य है: सबके लिए गुणवत्ता शिक्षा।

10.4.3 विश्व बैंक

विश्व बैंक गुणवत्ता की ओर प्रगमन (progress), सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा, तथा सबके लिए शिक्षा के अन्य लक्षणों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए “सबके लिए शिक्षा” का समर्थन व सहायता करता है। विश्व बैंक दुनिया भर के लगभग 90 देशों के सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम की बहुआयामी प्रयासों द्वारा सहायता करता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- प्राथमिक विद्यालय अभिगम्यता तथा निष्पक्षता, शैक्षिक गुणवत्ता तथा अधिगम उपलब्धि में सुधार लाना
- लड़कियों की ड्रॉप आउट दर को कम करना, अवधारण दर को बढ़ाना
- एच.आई.वी. प्रभावित विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायता करना
- पूर्व बाल्यकाल विकास को बढ़ाना
- विभिन्न देशों में सबके लिए शिक्षा संभावना को सुरक्षा प्रदान करना

सबके लिए शिक्षा लक्ष्यों पर अलग-अलग देशों के साथ कार्य करते समय विकसित देशों तथा सहायता देने वाले देशों के बीच पारस्परिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा होती है। सबके लिए शिक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों के संघटन में विश्व बैंक सहायता करता है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक विश्लेषणात्मक कार्य तथा वैश्विक ज्ञान तथा अच्छी पद्धतियों में सम्मिलित होने में भी सबके लिए शिक्षा के प्रयासों की सहायता करता है।

10.4.4 अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.)

अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) यू.के. सरकार का भाग है जो विकासशील देशों के साथ मिलकर विकास को प्रोत्साहित करने तथा अत्यंत गरीबी को कम करने के लिए कार्य करता है। यह सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल्स) को प्राप्त करने के लिए देशों की सहायता करता है। ये लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित अन्तरराष्ट्रीय लक्ष्य हैं जिनका उद्देश्य वर्ष 2015 तक विश्व की निर्धनता को आधा करना है। डी.एफ.आई.



डी. विभिन्न सरकारों के साथ, व्यापारिक घरानों के साथ तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर निर्धनता के कारणों से निपटने के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रमों का समर्थन करता है। इसमें विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, तथा यूरोपीय आयोग भी सम्मिलित है।

डी.एफ.आई.डी. भारत की कुछ कमजोर राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि की सहायता करता है। डी.एफ.आई.डी. गाँवों में रहने वाले तथा नगर के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है ताकि वे कुछ आय प्राप्त कर सकें, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जल और साफ सफाई सेवाएँ प्राप्त कर सकें। डी.एफ.आई.डी. ने कुछ बहुराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा यूनिसेफ के साथ मिलकर कुछ ट्रस्ट फंड स्थापित किए हैं। यह कुछ अन्तरराष्ट्रीय तथा स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ तथा निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करता है।

10.4.5 स्वीडन की अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस.आई.डी.ए.)

स्वीडन की अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस.आई.डी.ए.) स्वीडन की सरकारी एजेंसी है जो विश्व भर में तकनीकी सहायता तथा धन (निधि) देती है। स्वीडन की अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी अपने संसाधनों का उपयोग गैर-सरकारी संगठनों, बहुपक्षीय सहयोग तथा यूरोपीय संघ के माध्यम से करती है। इस प्रकार यह अन्तरराष्ट्रीय विकास सहयोग के विचार का समर्थन करती है। 100 देशों में लगभग 200 परियोजना की सहायता कर एस.आई.डी.ए. अपनी विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न कम्पनियों, लोकप्रिय आंदोलनों, संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी का विकास करती है। एस.आई.डी.ए. का भौगोलिक फोकस अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोप के देशों पर है। भारत को इस एजेंसी से 1964 से लेकर आज तक स्वेडिश द्विपक्षीय विकास सहायता के अंतर्गत सहायता मिल रही है। भारत में चलाई जा रही शिक्षा कर्मी परियोजना को एस.आई.डी.ए. से ही सहायता मिल रही है जो 1987 से चल रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान सुदूर व सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े गाँवों में प्राथमिक शिक्षा का सार्विकीकरण तथा गुणात्मक सुधार लाना है। इसका विशेष फोकस लड़कियों की शिक्षा है।

10.5 विश्व शिक्षा मंच, डकार, सेनेगल – 2000

“सबके लिए शिक्षा” पर विश्व सम्मेलन (1990) में यह शपथ ली गई थी कि वर्ष 2000 तक इस सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। उनका आशय था कि बच्चे, युवक व प्रौढ़ सभी उन शैक्षिक अवसरों से लाभान्वित होंगे जिनका अभिकल्पन उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। सबके लिए शिक्षा की इस विश्व घोषणा ने इस प्रकार शिक्षा में नई सुस्पष्ट दिशा दी जिसके अंतर्गत अध्येताओं की आवश्यकता, संस्कृति तथा परिस्थितियाँ सम्मिलित थी। जॉमेतियन में लिए गए इस निर्णय की समीक्षा ठीक 10 वर्ष बाद डकार सम्मेलन (2000) में की गई यह जानने के लिए कि उस दिशा में कितनी प्रगति



हुई है। इस सम्मेलन से कुछ वर्ष पहले 1996 में यूनेस्को द्वारा गठित इक्कीसवीं शताब्दी में शिक्षा पर सम्मेलन पर अन्तरराष्ट्रीय आयोग ने शिक्षा की अवधारणा दी जिसके अंतर्गत शिक्षा के चार स्तंभ बताए गए। ये स्तंभ हैं:

- (i) Learning to know
- (ii) Learning to do
- (iii) Learning to live together; एवं
- (iv) Learning to be

इस शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में डकार सम्मेलन के सहभागियों ने सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फिर से अपनी वचनबद्धता दोहराई।

सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य

- पूर्व बाल्यकाल शिक्षा तथा देखभाल का विस्तार करना तथा संशोधित करना, विशेषतः उन बच्चों के संदर्भ में जो अत्यधिक असुरक्षित तथा सुविधा वंचित हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2015 तक सभी बच्चे, विशेषकर लड़कियाँ, कठिन परिस्थिति ग्रस्त बच्चे, और वे जिनका संबंध जनजातीय, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों, युवकों तथा प्रौढ़ों की अधिगम की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।
- यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2015 तक प्रौढ़ साक्षरता के स्तर में (विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में) 50 प्रतिशत की वृद्धि हो; और सभी प्रौढ़ों के बेसिक और सतत् शिक्षा न्यायसंगत रूप में अभिगम्य हो।
- वर्ष 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से लिंग विषमता दूर हो जाए तथा वर्ष 2015 तक शिक्षा में लिंग समानता प्राप्त की जा सके, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि लड़कियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली बेसिक शिक्षा अभिगम्य है और इस शिक्षा में उनकी उपलब्धि पूरी है।
- गुणवत्ता शिक्षा के सभी पक्षों में सुधार लाना तथा उनमें उत्कृष्टता सुनिश्चित करना ताकि सम्मानित स्तर की अधिगम निष्पत्तियाँ सभी द्वारा प्राप्त की जा सकें, विशेषकर साक्षरता तथा आवश्यक जीवन कौशलों के संदर्भ में।

विश्व शिक्षा मंच की कार्यनीतियाँ (उद्देश्य)

- “सबके लिए शिक्षा” के प्रति मजबूत राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता संघटित करना तथा बेसिक शिक्षा में राष्ट्रीय क्रियाविधि योजना विकसित करना।



- सबके लिए शिक्षा संबंधी नीतियों को एक स्पष्ट अविच्छिन्न ढाँचे के अंतर्गत प्रोत्साहित करना और इन्हें निर्धनता उन्मूलन तथा विकासात्मक कार्यनीतियों से जोड़ना
- शैक्षिक अभिशासन तथा प्रबंधन को प्रभावी सहभागितापूर्ण तथा उत्तरदायी ढंग से विकसित करना
- उन शिक्षा व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करें जो संघर्ष, राष्ट्रीय आपदाओं तथा अस्थिरता से प्रभावित हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों को इस प्रकार से संचालित करें कि जिससे आपसी समझ व सद्भाव का विकास हो।
- शिक्षा में लिंग समानता के लिए ऐसी कार्यनीतियों का कार्यान्वयन करें जिनमें अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण समझा जाता हो।
- ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों तथा क्रियाविधियों को कार्यान्वित करें जिन से एच.आई.वी./एड्स जैसी बीमारियों से लड़ा जा सके।
- एक ऐसा सुरक्षित, स्वस्थ, समावेशी और न्यायसंगत शैक्षिक वातावरण उत्पन्न किया जाए जो अधिगम में उत्कृष्टता लाने के लिए उपयुक्त हो तथा जिसमें सभी के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उपलब्धि के स्तर दिए गए हों।
- अध्यापकों की स्थिति (प्रतिष्ठा), मनोबल तथा व्यावसायिकता को बढ़ाना
- सबके लिए शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नई सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों तथा कार्यनीतियों की प्राप्ति को क्रमबद्ध रूप में मॉनीटर करना
- "सबके लिए शिक्षा" की प्रगति को त्वरित करने के लिए वर्तमान रचनातंत्रों पर आगे काम करना।



क्रियाकलाप-1

दिए गए विकल्पों में से सर्वोचित उत्तर चुनिए:

- 1) क) जॉमेटियन सम्मेलन के सहभागियों ने निम्नलिखित में से किस अधिकार का पुनः समर्थन किया?
 - i) लिंग समानता
 - ii) प्रौढ़ शिक्षा
 - iii) प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा
 - iv) एच.आई.वी./एड्स ग्रसित बच्चे की शिक्षा



- ख) जॉमेतियन सम्मेलन के पाँच मूलभूत सिद्धांत कौन-से हैं?
- ग) जॉमेतियन सम्मेलन के मुख्य लक्ष्यों का वर्णन करें।
- 2) ई-9 देशों से अभिप्रायः है:
- इलैक्ट्रानिक देश
 - आर्थिक रूप से समृद्ध देश
 - उच्च जनसंख्या वाले देश
 - आर्थिक रूप से पिछड़े देश
- 3) निम्नलिखित प्रश्न हल करें:
- जॉमेतियन सम्मेलन के पश्चात् ई-9 देशों की उपलब्धियाँ कौन-सी हैं?
 - दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करें।
- 4) विकासशील तथा विकसित देशों में "प्रारंभिक शिक्षा के प्रयास" विषय पर, कुछ विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए अपने सहयोगी अध्यापकों के लिए एक पैनल वार्ता का आयोजन करें।

10.7 सारांश

यह इस पाठ्यक्रम की दसवीं और अंतिम इकाई है, जिसका संबंध प्रारंभिक शिक्षा के अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से है। सर्वप्रथम, इस इकाई में जॉमेतियन सम्मेलन (1990) में दर्शाए गए मुख्य दबाव क्षेत्रों की पहचान की गई है और उनकी संक्षिप्त रूप में व्याख्या की गई है। यह सम्मेलन 1990 में जॉमेतियन (थाईलैंड) में संपन्न हुई थी। यह एक विश्व सम्मेलन का जिसका मुख्य विषय "सभी के लिए शिक्षा" था। इस सम्मेलन में इस विश्वास की पुनः पुष्टि की गई कि शिक्षा के लिए सभी का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को चाहे जो उसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति हो शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इस सम्मेलन से दृढ़ में पहले से चल रहे प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण संबंधी प्रयासों को बल मिला। इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण दबाव बिन्दु था "सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करना। इस इकाई में जॉमेतियन सम्मेलन के ई-9 देशों पर प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। ई-9 देशों से हमारा तात्पर्य है विश्व के उच्च जनसंख्या वाले देश। इसके अतिरिक्त इस इकाई में विकासशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा की दशा पर भी प्रकाश डाला गया है।

आगे इस इकाई में यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक तथा सीडा के प्रारंभिक शिक्षा में योगदान को भी उजागर किया गया है। ये एजेंसियाँ प्रारंभिक शिक्षा के लिए विकासशील देशों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इनके अतिरिक्त इस इकाई में विश्व शिक्षा मंच के योगदान का भी जिक्र है जिसका सम्मेलन सन् 2000 में डकार में हुआ था और



इसमें जॉमेटियन सम्मेलन की उपलब्धियों की समीक्षा की गई थी। इस इकाई में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को महत्वपूर्ण माना गया है:

- कोई भी देश अपने नागरिकों को शिक्षित किए बिना प्रगति नहीं कर सकता।
- विकास के बनाए रखने और गरीबी को कम करने में शिक्षा एक कुंजी का कार्य करती है।
- बेसिक शिक्षा जीवन पर्यन्त शिक्षा या अगिम का आधार होती है जो आगे इक्कीसवीं शताब्दी की कुंजी है।

10.8 शब्दावली / संकेताक्षर

ADEA	Association for the Development of Education in Africa
AfDB	African Development Bank
CDF	Comprehensive Development Framework
CREMIS	Caribbean Regional Educational Management Information System
DFID	Department for International Development
ECCD	Early childhood care and development
EU	European Union
FRESH	Focusing Resources on Effective School Health
EFA	Education for All
HIPC	Highly Indebted Poor Countries Initiative
HIV	Human Immunodeficiency Virus
IBE	UNESCO International Bureau of Education
ICT	Information and communication technologies
IIEP	UNESCO International Institute for Educational Planning
IIEP	UNESCO International Institute for Educational Planning
NGO	Non-governmental organization
OIE	Organization of Ibero-American States for Education, Science and Culture
Sida	Swedish International Development Co-operation Agency
UNAIDS	Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDAF	United Nations Development Assistance Framework
UN/DESA	United Nations Department of Economic and Social Affairs



10.9 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

Conference Documents and Papers

- World Education Forum (= WEF). Dakar, Senegal, 26-28 April 2000. The Dakar Framework for Action. Education for All: Meeting our Collective Commitments. www2.unesco.org/wef/en-leadup/dakfram.shtm
- World Education Forum. Address by Koichiro Matsuura, Director General, UNESCO. www2.unesco.org/wef/en-news_coverage_speech_jihiro.shtm
- World Education Forum. James D. Wolfensohn, President, The World Bank. Presentation at the WEF. www2.unesco.org/wef/en-news_coverage_speech_wolfen.shtm
- World Education Forum. Renewed Hope: NGOs and Civil Society in Education for All. Executive Summary (Press Release) of the NGO Study by the Press and Information Office of the Dakar Meeting (= NGO Study). www2.unesco.org/wef/en-leadup/findings_ngo.shtm
- World Education Forum: NGO Declaration on Education for All, Dakar 25 April 2000. 4 pages
- World Education Forum. Strategy Session "Literacy for All: A Renewed Vision for a Ten-Year Global Action Plan", Dakar, 27 April 2000 and: Draft of a Resolution for a UN Literacy Decade
- World Education Forum. Statistical Document. UNESCO Institute for Statistics, Paris 2000
- Education for All – Global Synthesis by Malcolm Skilbeck. EFA International Consultative Forum Documents. EFA Forum UNESCO, Paris 2000
- EFA Thematic Study on Community Partnership in Education: Dimensions, Variations, and Implications, by Marc Bray. January 2000. Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China
- EFA Thematic Study on Funding Agencies' Contributions to Education for All, by Clare Bentall, Edwina Peart, Roy Carr-Hill, and Aidan Cox. February 2000. Overseas Development Institute, London, Portland House, Stag Place, London SW1E 5DP. www.oneworld.org/odi
- EFA Thematic Study on Literacy and Adult Education. Prepared by the International Literacy Institute, Principal Author Daniel Wagner. March 2000. University of Pennsylvania – UNESCO. 3910 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19104-3111. www.literacyonline.org
- Mid-Decade Meeting of the International Consultative Forum on Educa-



tion for All, 16-19 June 1996, Amman, Jordan. Final Report. EFA Forum Secretariat UNESCO, Paris 1996

- World Conference on Education for All (= WCEFA), 5-9 March 1990, Jomtien, Thailand. World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs. Published by the Inter-Agency Commission. UNICEF House, New York, N.Y. April 1990
- Fifth International Conference on Adult Education (= CONFINTEA V), 14-18 July 1997, Hamburg, Germany. Declaration on Adult Learning. UNESCO Institute for Education, Hamburg 1997

Other Related Publications

- Bhola, H.S., Evaluating Literacy for Development. Projects, Programs and Campaigns. UNESCO Institute for Education, Hamburg; German Foundation for International Development, Bonn 1990
- Torres, Rosa María, One Decade of Education for All: The Challenge ahead. International Institute for Educational Planning (UNESCO/ IIEP), Buenos Aires 2000
- Publications on Dakar by/on the World Education Forum in the Internet under www2.unesco.org/wef
- Hard copies can be ordered from UNESCO -http://www.unicef.org/mdg/index_unicefsrole.htm
- For Elementary Education initiative at International level-<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001228/122850e.pdf>

10.10 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. वर्ल्ड एडुकेशन फोरम के उद्देश्यों की विवेचना करें।
2. आपके विचार में जोमैटीयन कॉन्फ्रेंस का यू.ई.ई. (U.E.E) पर क्या प्रभाव पड़ा?
3. युनेस्को (UNESCO) की यू.ई.ई. (U.E.E.) में क्या भूमिका है?
4. विश्व बैंक (SIDA) डी.एफ.आई.डी. (DFID) यू.ई.ई. (UEE) में किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं?
5. वर्ल्ड एडुकेशन कॉन्फ्रेंस में लिए गए मुद्दों 2000 में हुए डाकर (सेनेगल) पर संक्षिप्त रूप में चर्चा करें।